

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग



उत्तराखण्ड भासन

जनपद - चमोली

वृत्त का नाम:- 7 वां वृत्त, लो०नि०वि०, गोपेश्वर

खण्ड का नाम :- प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

कार्य का नाम:- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की
घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से
मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु
वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वनभूमि का क्षेत्रफल :- 0.665 हेक्टेयर (सिविल वनभूमि)
मक डिस्पोजल 0.048 हेक्टेयर (सिविल वनभूमि)
कुल क्षेत्रफल - 0.713 हेक्टेयर

CHECK LIST

(2)

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
1- Main Attachments			
1.1	Documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency.	11	Attached
1.2	Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted.	12	Attached
1.3	Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS.	13	Attached
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend.	14	Attached
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land.	15	Attached
1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006	16-21	Attached
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation	—	Attached
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA.	—	Attached
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate	—	Attached
1.10	Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency.	—	Attached
1.11	Cost benefit analyses (in more than 5.0 ha. Land diversion cases)	—	Not Required, as the Land Diversion is less than 5.0 HA
1- Additional Documents			
2.1	A short narrative and importance of the project.	22	Attached
2.2	Administrative and Financial sanction.	23 to 25	Attached
2.3	Preliminary Joint Inspection report.	26	Attached
2.4	Comperative chart showing statement of both alignment of the proposed project.	27	Attached
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum.	34	Attached
2.6	Land schedule	35	Attached
2.7	Category wise land length, width and area	38	Attached
2.8	Bar Chart with index	39	Attached
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land	40 to 43	Attached
2.10	Certificate regarding suitability of indentified land for Comensatory Afforestation	44	Attached
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory afforestation	45	Attached

CHECK LIST

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation	47	Attached
2.14	Estimate of 100 trees plantation (less then 1.0 ha. cases)	—	Not Required
2.15	Details of the trees with their scientific name	49	Attached
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided)	50	Attached
2.17	Certificate from DFO If felling of trees is not involved	—	Not Required
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work	51	Attached
2.19	Muck disposal scheme	52 to 60	Attached
2.20	Status of the project area is a part of National Park or sanctuary and airtal distance of the project from National Park or sanctuary	61	Attached
2.21	If the project area is within 10 Km radius of National Park or Centuary No objection certificate of CCF Wild Life	—	Not Required
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF Gol.	—	Not Required
2.23	No voilation has taken place, FC Act. 1980 reg	63	Attached
2.24	NOC from local Gram Sabhas	64	Attached
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation.	—	Not Required
2.26	Component wise details of construction work.	—	Not Required
2.27	Certificate- work has not been started reg.	66	Attached
2.28	Geologist Report	67 to 70	Attached
2.29	Task Force report	71 to 72	Attached
2.30	Item wise details of work	73 to 74	
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition	75	Attached
2.32	Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas	76	Attached
2.33	No historical/monumental or relegeous place will be effected.	77	Attached
2.34	Undertakoing regarding no animal will be effected adversely by the project	78	Attached
2.35	Undertading to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project	79	Attached
2.36	Benefited villages/Families/Population Certificate	80	Attached
2.37	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreem court /MoEF orders	81	Attached
2.38	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreem Court increses the rates of NPV	82	Attached
2.39	Cost of the forest land and lease rent certificate	—	Not Required
2.40	Certificate of Lease period	—	Not Required

CHECK LIST

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.41	Demarcation of land to be diverted	83	Attached
2.42	Undertaking of user agency to bear the cost for demarcation work	84	Attached
2.43	Non-availability of non-forest land for compensatory afforestation certificate.	-	Not Required
2.44	Fact sheet . /Other imp details	86 to 96	Attached



Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Gopeshwar



Executive Engineer
Provincial Division, PWD
Gopeshwar

प्रस्ताव की क्रम संख्या :-

(प्राप्त करने की तारीख नोडल अधिकारी द्वारा भरी जानी है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या -

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या -

7- परियोजना/स्कीम का स्थान -

(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

(2) जिला

(3) वन प्रभाग

(4) वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०)

(5) वन की कानूनी स्थिति

(6) हरियाली घनत्व

(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि/श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. - 2 मी० पर परिगणना और एफ.आर.एल. - 4 मी० भी संलग्न किये जायें

(8) (1) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी

(2) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल (हे० में)

(9) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जायें)

(10) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हो/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।

(11) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पौरम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

8- प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा -

(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार

(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप

(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन, ऐजेन्सी, समय, अनुसूची, लागत, ढांचा आदि

मेहरगांव

उत्तराखण्ड

चमोली

अलकनन्दा वन प्रभाग, गोमेश्वर

सिविल/वन पंचायत वन भूमि

4

सूची संलग्न है।

भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न है

नहीं

नहीं

नहीं

हां अपरिहार्य एवं न्यूनतम है

नहीं

नहीं

प्रांकलन संलग्न

मानचित्र पर उल्लिखित है

संलग्न है

संलग्न है

संलग्न है

(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तिय परिव्यय

संलग्न है

(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)

वन अधिकाधिकारी
चमोली डेपुटी

बन विभाग बोपेश्वर

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।

संलग्न है

12- विभाग/जिलाप्रोफाइल :-

(1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र -

803000 754965 हे०

(2) जिले का वन क्षेत्र -

514792 497100 हे०

(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र 214 मिन

(4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर 214 मिन

(5) 05/12/2015 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वन भूमि पर 766.26 हे०

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के सम्बन्ध उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश

वनभूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है

तिथि - 06/02/15

स्थान - गोपेश्वर

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर अधिकारी
बन विभाग
बोपेश्वर (चमोली)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग "ख" में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि -

स्थान -

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर

भाग - 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17- टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव के स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें)

(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक अथवा एप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि -

हस्ताक्षर

स्थान -

(नाम)

सरकारी मोहर

भाग - 5

(इसे वन विभाग प्रभारी, सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाता है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग 'ख' या भाग 'घ' में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

तिथि -

हस्ताक्षर

स्थान -

(नाम)

सरकारी मोहर



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr@rediffmail.com

To Whome it May Concern to

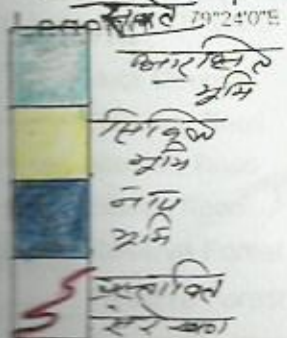
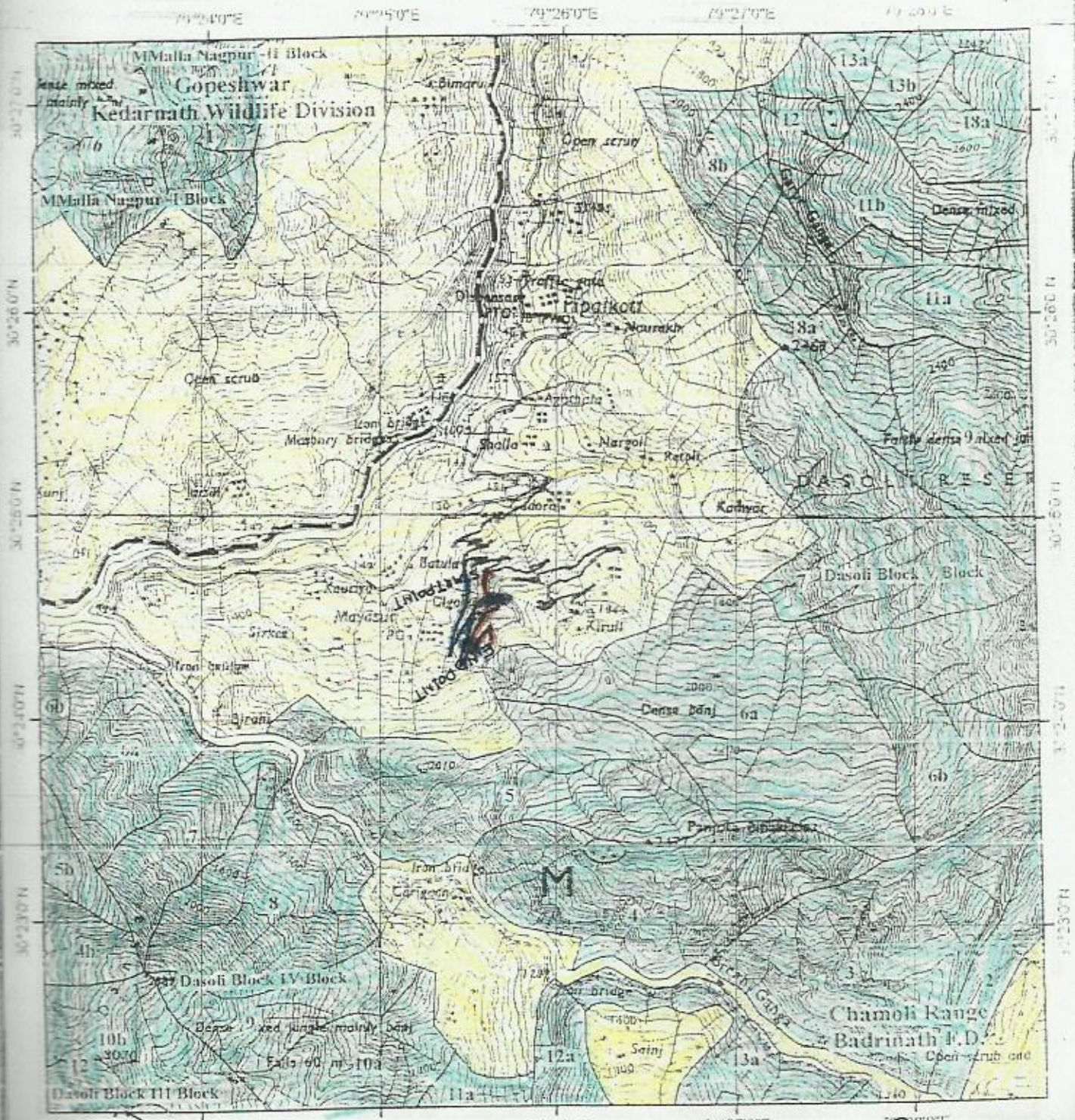
Name of Work :- Connecting MeharGaon to motor road from Luwah-Degoli motor road, Under CM Announcement at Dasoli Block in District Chamoli. Length 1.50 Km.

It is state that Mr. Vinod Singh Negi, Assistant Engineer, Provincial Division, P.W.D, Gopeshwar is being authorized to make online submission of Forest Clearance Proposal for the Project as mentioned above on behalf of Provincial Division, P.W.D, Gopeshwar user agent.


Executive Engineer
Provincial Division P. W. D.
Gopeshwar

विभिन्न वर्ग-जनपद तहसील में वन्य जीवों के प्रचुरता का
 भाग से प्रदर्शित एक मानचित्र नाम के निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 KM



Handwritten signature and initials.

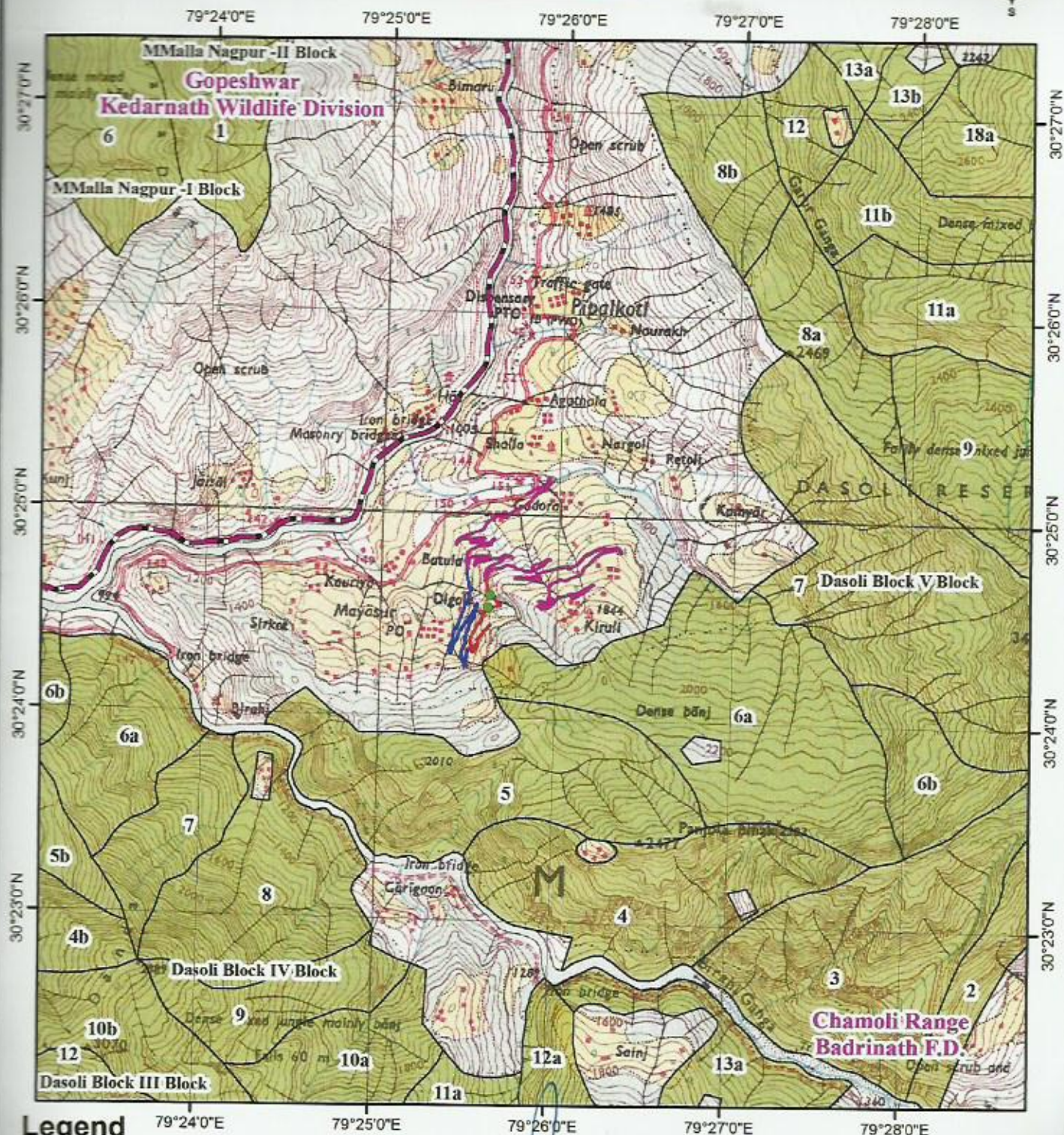
Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

प्रभागीय वन्य जीव अधिकारी
 वन्य जीव विभाग

डिजिटल मैप-जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत त्वां - दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Division Boundary

प्रभागीय अधिकारी

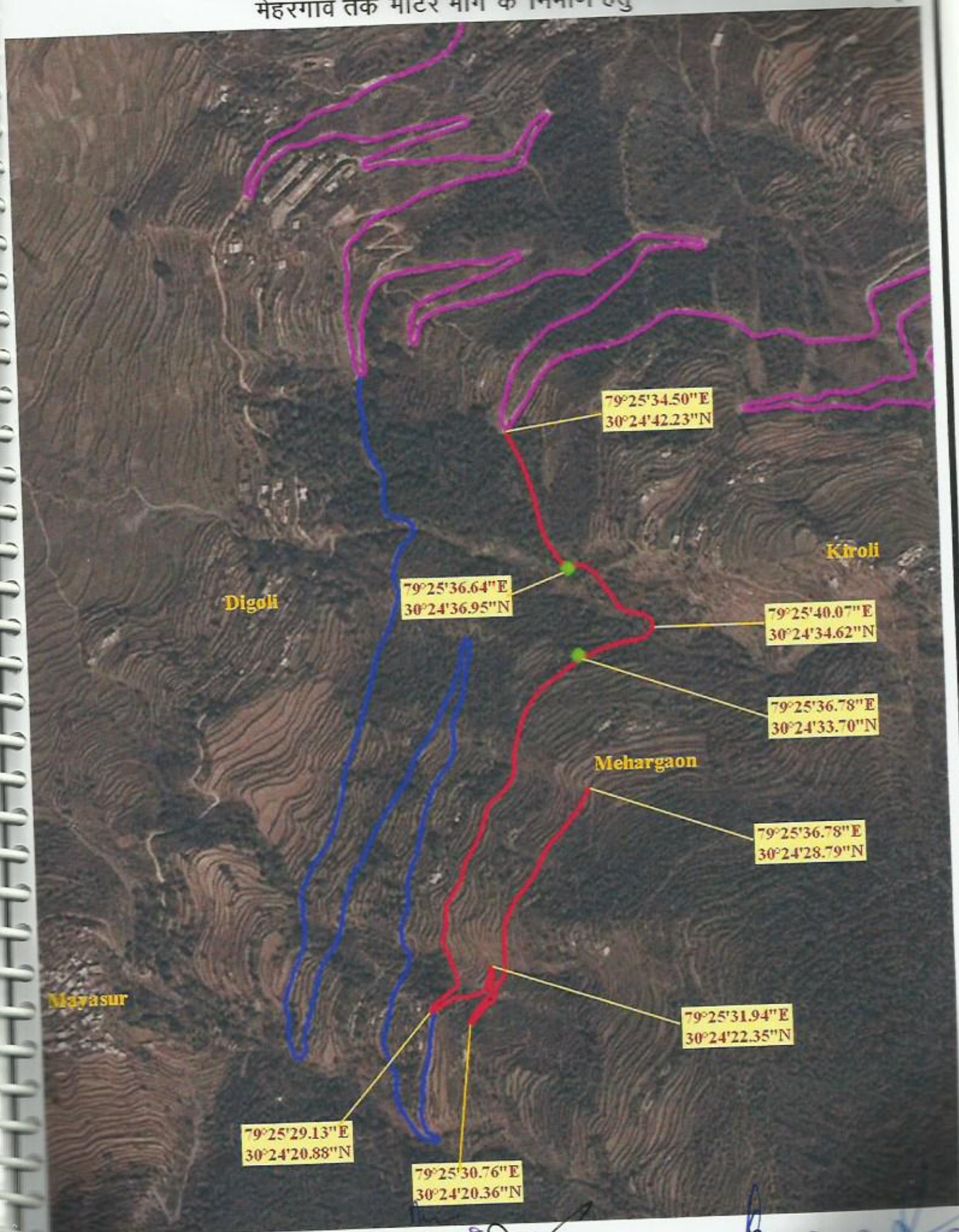
उद्देश्य वन भाग
बोपेश्वर (चमोली)

जिलाधिकारी
चमोली

सहायक अभियन्ता

वन बोपेश्वर
चमोली जे.ए.

डिजिटल मैप-जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत त्वां - दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



जिलाधिकारी
चमोली

8/2

एक प्रमाणित प्रतिलिपि

Justification

Name of The Project :-

Necessity of the Project and Justification for locating the Project in Forest Area

Presently the villagers of the village Mehargaon have to walk through a distance of to Km to meet their daily needs as there is no road connecting the village. Due to the non-existent of any road connectivity the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture.

The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Adrak, Mirch, Lehsoon, Dhan, Ghehun, Aloo, Green Vegetable, Onion etc. on their feet or by mules to the nearby market.

Due to the construction of road following benefits are provided to local People & Government too.

- 1- Enhance the social and economical development of this area.
- 2- Migration of people from the village shall be minimized.
- 3- Due to easily accessibility forest can be protected from fire during summer season to save Vegetation Plants & animals.
- 4- The Village People will travel large distance for their Jobs.
- 5- Local people will find jobs near their village.
- 6- More women will get employment & will improve their economic situation.
- 7- Educational development in this area.
- 8- Hospital and medical facilities.

The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 0.713 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree felling. Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of the trees. The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00m and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological Investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical/monumental or legendary places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the Forest land area of 0.713 Hectare may kindly be diverted for the construction of the road.



Assistant Engineer
Provincial Division PWD
Gopeshwar

Executive Engineer
Provincial Division PWD
Gopeshwar

16

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :- 18/02/15

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.713 Hect of forest land proposed to be diverted in favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Luwha-Degoli motor road to MeharGaon 1.50 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.665 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee Chamoli

(17) (18)

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated 18.02.15. at time 2.30 P.M. at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.713 hect for the construction of Construction of Luwaha-Degoli motor road to MeharGaon 1.50 Km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 18.02.15..

n

जिलाधिकारी
चमोली
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee Chamoli

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत रा० ३० का० गडोरा से महरगाव (चमोली) मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।
कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोलीजनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली

में रा० ३० का० गडोरा से महरगाव (चमोली) मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 16/01/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | |
|---|----------------------------|----------------|
| 1- श्री <u>अवधेश कुमार सिंह</u> | उपजिलाधिकारी (सर) | <u>अध्यक्ष</u> |
| 2- श्री <u>प्र. श. सुमन</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री <u>आर० गे. २००५</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी, | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री <u>सुनील कोठियाल-बाटुलावाडी</u> | बी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत ग्राम महरगाव (चमोली)

ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत रा० ३० का० गडोरा से महरगाव (चमोली) तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

अध्यक्ष

उपजिलाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्यसहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

प्रभागीय वनाधिकारी

बदलन व वन भा।
गोपेश्वर (चमोली)बी.डी.सी. क्षेत्र
सदस्य16/01/15
पं० सुनील कोठियाल
सदस्य क्षेत्र
बाटुला (दशोली) चमोलीवन वनाधिकारी
चमोली रेन्ज

बडीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

ज्ञा रहे

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय स्वयं, लो० नि० वि०
गोपेश्वर (चमौली)

महोदय,

गडोरा - जिसकी मोटर मार्ग के किमी० 4 से मेहर गाँव
मोटर मार्ग लम्बाई 1.5 किमी० के समरेखण से समस्त ग्राम-
वासी अनुसर है।

अतः इस समरेखण से ग्रामवासीयों को किसी भी
प्रकार की आपत्ति नहीं है।

सुने सुनी देवी

हरीश लाल
सुनील
सरिता देवी

बहिष्कृत अभिहित लाल

गुडडी देवी

वर्जित वगैरह प्रमाणित

- 10 मदन लाल
- 11 अनामिका लाल
- 12 रीतिका लाल
- 13 धनश्याम
- 14 सातो श्वरी
- 15 रुकमंजी देवी
- 16 रामेश्वरी
- 17 विपुलेश्वरी
- 18 गंगा देवी
- 19 पुष्पा देवी
- 20 रंजना देवी
- 21 गुडडी देवी
- 22 सुखदेव

भवदीय

समस्त ग्रामवासी
मेहर गाँव

PC- 41105100

(10)

सहायक अभियन्ता
प्र० स्व० मो० नि० वि०
गोपेश्वर

परियोजना का नाम :

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशौली में ग्रा.पं. त्वंद महगोक अन्तर्गत रा.ड.का. जोरा से महगोक तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 0.713 हे० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

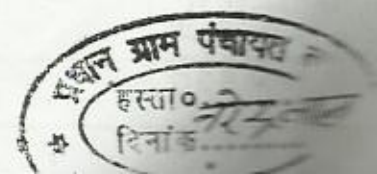
उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 0.713 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

जॉटो प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड जो० सि० वि०
नोपक्षर

हस्ताक्षर प्रधान



प्रपत्र -23.1

दि. 16/11/15 को ग्राम सभा लुवाह

की बैठक सम्पन्न हुई

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

क्रं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विजेंद्र लाल	विजेंद्र लाल
2)	हरीश लाल	हरीश लाल
(3)	अनूप लाल	अनूप लाल
4)	सुनील कोठियाल शे. प. सदस्य	सुनील कोठियाल
5	सुकमडी देवी	सुकमडी देवी
6	लक्ष्मण लाल	लक्ष्मण लाल
7	जयहिन्द लाल	जयहिन्द लाल
8	गुडडी देवी	गुडडी देवी
9	दोतणी देवी	दोतणी देवी
10	धनश्याम लाल	धनश्याम लाल
11	नंदन लाल	नंदन लाल
12	सावित्री देवी	सावित्री देवी
13	वबीता देवी	वबीता देवी
14	सरिता देवी	सरिता देवी
15	सरवपत लाल	सरवपत लाल
16	राधा देवी	राधा देवी
17	श्री अशोक प्रसाद डवराल	श्री अशोक प्रसाद डवराल
18	मीनमति मंजू देवी	मीनमति मंजू देवी
19	रमेश्वर प्रसाद डवराल	रमेश्वर प्रसाद डवराल
20	जीमती पुष्पा देवी	जीमती पुष्पा देवी
21	विश्वेश्वरी देवी	विश्वेश्वरी देवी
22	राजकु लाल	राजकु लाल
23	रामेश्वरी देवी	रामेश्वरी देवी
24	नारीन्द्र लाल	नारीन्द्र लाल
25	सतेश्वरी देवी	सतेश्वरी देवी
26	गजेन्द्र लाल	गजेन्द्र लाल
27	सरिता देवी	सरिता देवी

कैसे प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लोक निर्माण वि०
गुवाहाटी

Sl. No.	Name of the Candidate	Grade	Percentage
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...

29	रेखा देवी	रेखा देवी
30	रेखा देवी	रेखा देवी
31	खुशमाल लाल	खुशमाल लाल
32	खुरशी देवी	खुरशी देवी
33	विशेश्वरी देवी	विशेश्वरी देवी
34	श्रीगुड्ड बाल	श्रीगुड्ड बाल
35	पुष्कर लाल	पुष्कर लाल
36	संदीप लाल	संदीप लाल
37	विनोद लाल	विनोद लाल
38	महेशी देवी	महेशी देवी
39	जगन्नाथी लाल	जगन्नाथी लाल
40	पद्मेन्दु लाल	पद्मेन्दु लाल
41	गंगा देवी	गंगा देवी
42		

५९ प्रति प्रमाणित



सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड सी० नि० वि०
योगेश्वर

प्रतिवेदन

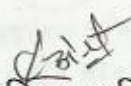
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम मेहरगांव को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु माननीय मुख्य मंत्री की घोषणान्तर्गत शासनादेश संख्या 807/111-2/14-58 (प्रा0आ0)/2013 दि0 08.02.2014 द्वारा 1.50 किमी0 लम्बाई हेतु टोकन मनी क रुप में रु0 0.10 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। जिसके विरुद्ध मात्र 0.713 हे0 वनभूमि हस्तान्तरण का यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

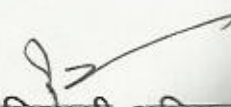
इस मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति विकासखण्ड दशोली में पर्वतीय एवं दूरस्थ ग्राम मेहरगांव ग्राम हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी है। उक्त मार्ग की मूल स्वीकृति ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव हेतु प्राप्त हुई, किन्तु मार्ग एवं ग्रामीणों के आवासीय भवनों एवं भूमि के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न होने के कारण मार्ग का संरेखण गडोरा-चैतुली मोटर मार्ग के किमी0 4 से प्रारम्भ किया गया। उक्त संरेखण में ग्रमवासियों की पूर्ण सहमति प्राप्त है।

उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, किन्तु संरेखण नं0 1 इस प्रकार तय किया गया कि इसमें न्यूनतम वन भूमि एवं कम से कम वृक्ष पड़ें साथ ही इस संरेखण के मध्य कोई मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान, धार्मिक स्थल आदि नहीं पड़ते हैं, संरेखण का निरीक्षण भूगर्भवेत्ता द्वारा किया जा चुका है, भूगर्भीय दृष्टि से यह उचित पाया गया है, इस संरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक संरेखण उक्त बिन्दुओं को परिपूर्ण नहीं कर सकता है। क्योंकि संरेखण नं0 2 में अधिक वन सम्पदा का नुकसान होने के साथ ही एच0पी0 बैण्डों की संख्या भी अधिक आ रही है, जिस कारण मार्ग एवं गांव के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः प्रस्तावित संरेखण नं0 1 उपयुक्त है, इस संरेखण में 0.713 हे0 में ही भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण 7.00 मी0 चौड़ाई में किया जा रहा है, मार्ग का निर्माण 6.00 मीटर चौड़ाई में किया जायेगा तथा इस मार्ग पर पड़ने वाले वृक्षों की गणना 6.00 मी0 चौड़ाई में ही की गयी है, जिसकी सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

अतः 1.50 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे0 सिविल/वन पंचायत वनभूमि की आवश्यकता है, जो न्यूनतम है। उक्त वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्ठा अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशोषी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0
गोपेश्वर

संख्या-007/111(2)/14-58(प्रोटोआर)/13

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

द्ये. नि. 11/2/2014
द्ये. नि. 11/2/2014
10/2/14

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 08 फरवरी, 2014

विषय: वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 56 नये कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित 56 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विवरणानुसार प्रति कार्य रु० 0.10 लाख अर्थात् कुल 56 कार्यों हेतु रु० 5.60 लाख (रुपये पाँच लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त स्वीकृति के सापेक्ष संलग्न सूची में वर्णित कार्यों हेतु प्रचलित व्यवस्था एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप आगणन गठित कर मुख्य अभियन्ता के हस्ताक्षरोपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा शासन से आगणन की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग की अनुदान संख्या-22-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-राज्य सेक्टर-02-नया निर्माण कार्य-24-वहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

04- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-770/XXVII(2)/2013 दिनांक 8 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-56 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)

अपर सचिव

PC Malesed

XIC

सहायक अभियन्ता

आ. ख. लो. नि. वि.

गोपेश्वर

सत्यवती सिबिडनामि

सहायक अभियन्ता 2/-

आ. ख. लो. नि. वि.

गोपेश्वर

41.	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में बनबसा क्षेत्र के ग्राम मजनपुर में आन्तरिक मार्गों का निर्माण।	2.50	0.10
42.	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में चन्दफार्म, चूनामट्टा बनबसा में आन्तरिक मार्गों का निर्माण।	2.00	0.10
43.	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में ग्राम छीनी गोठ टनकपुर क्षेत्र में आन्तरिक मार्गों का निर्माण	3.00	0.10
44.	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में पुनः निर्माण एवं सुधार	-	0.10
45.	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में बिरगुल-गोली मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण	6.00	0.10
46.	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में कालूखान-गुरोली मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण।	2.00	0.10
47.	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में इजरखन्दक-चौड़ाखाली मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण।	1.00	0.10
48.	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में नरसिंहडांडा-गुरोली मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण।	2.50	0.10
49.	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में सिप्टी-न्याड़ी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण।	4.00	0.10
50.	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में चम्पावत-खेतीखान मोटर मार्ग के किमी 0.18 से डिगडई मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण।	2.00	0.10
51.	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में रिंग रोड चम्पावत मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण।	3.00	0.10
52.	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में टनकपुर लोक निमाण विभाग, निरीक्षण भवन से मनीहारगोठ मोटर तक लिंक मार्ग में सी०सी० द्वारा सुधार कार्य।	0.50	0.10
53.	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में जगन्नाथ चाराह से पिथौरागढ़ चुंगी तक सी०सी० द्वारा मार्ग का पुनः निर्माण।	0.80	0.10
54.	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र बट्टीनाथ में त्वा-दिगोली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग नवनिर्माण (घोषणा सं० 110/2014)	1.50	0.10
55.	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र बट्टीनाथ में गोपेश्वर-चम्पावत मोटर मार्ग का हाटमिक्स द्वारा सुधार (घोषणा सं० 112/2014)	15.80	0.10
56.	जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र बट्टीनाथ में पटियालधार-वैतरणी हल्का वाहन मार्ग पर सी०सी० का कार्य (घोषणा सं० 112/2014)	1.75	0.10
		353.40	5.60

(रु० पांच लाख साठ हजार मात्र)

De Attested

अ. वि. वि.
गोपेश्वर

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अ. वि. वि.

अ. वि. वि.

अ. वि. वि.
अ. वि. वि.

95

-2-

संख्या-807 (1) / 111(2) / 14-58(प्रा0आ0) / 2013 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हक0) ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, मांजरा, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 3- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- 4- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी देहरादून/चमोली।
- 5- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा।
- 6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, लो0नि0वि0।
- 7- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 8- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- गार्ड बुक।

pe Attested

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
गोपेश्वर

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

सत्य प्रति लिपि प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत
ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग
निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 27.10.2014 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री पूरण सिंह चौहान, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री मोहन सिंह बिष्ट, उप राजस्व निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मदन मोहन जोषी, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमिहे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.213 हे०, वन पंचायत भूमि 0.0 हे० एवं नाप भूमि 0.385 हे० प्रभावित होती है। मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की चौड़ाई 7.00 मी० ली गई है एवं मार्ग का निर्माण 6.00 मी० चौड़ाई में किया जायेगा। प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 550 मी० नाप भूमि से, 950 मी० सिविल भूमि से, 0.00 मी० वन पंचायत से 0.00(मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 0.385 हे० नाप भूमि 0.213 हे० सिविल भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 0.213 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर / चुने गये स्थल पर लगभग 166 वृक्ष व नापभूमि 0 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

इस समरेखन के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखन देखे गये उसमें 487 मी० नाप भूमि से, 1013 मी० सिविल भूमि, 0.00 मी० वन पंचायत से 0.00 (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में 0.341 हे० नाप भूमि, 0.709 हे० सिविल भूमि, 0.345 हे० वन पंचायत भूमि, 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 0.709 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर / चुने गये स्थल पर लगभग 187 वृक्ष व नापभूमि 19 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चुने गये संरेखण का प्रारम्भ होने का स्थल का जी०पी०एस० मान 79°25'34.5" - E, 30°24'541.9" - N है तथा यह स्थल गडोरा-किरुली-चैतुली मोटर मार्ग के किमी० 4 से प्रारम्भ होता है, समरेखण का अन्तिम स्थल अनुसूचित ग्राम मेहरगांव है, जिसका जी०पी०एस० मान 79°25'36.7" - E, 30°24'28.8" - N है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

इस समरेखण पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु विभिन्न स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 79°25'36.64"-E, 30°24'36.95"-N, 79°25'36.78"-E, 30°24'28.79"-N हैं।

मलवा निस्तारण हेतु डम्पिंग जोन प्रस्तावित हैं।

अमीन

सहायक अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि.
गोपेश्वर

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, समरेखण नम्बर एक उचित एवं उपयुक्त पाया गया, संरेखण नम्बर दो भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनपयुक्त पाया गया।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिसासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

कार्य का नाम:-

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्दीनाथ में ल्वा-दिगोली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण का संरेखण प्रस्ताव, लम्बाई 1.50 किमी।

मार्ग की स्वीकृति:-

शासनादेश सं. 807 / 111(2) / 14-58 (प्र0आ0) / 2013 दि. 08.02.2014।

स्वीकृत/प्रस्तावित लम्बाई :- 1.50 किमी.

संरेखण की लम्बाई :- 1.50 किमी.

संरेखण की उपयोगिता:-

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्दीनाथ में ल्वा-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक राज्य योजना में मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत शासनादेश सं. 807 / 111(2) / 14-58 (प्र0आ0) / 2013 दि. 08.02.2014 द्वारा 1.50 किमी. लम्बाई में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त मार्ग का संरेखण ल्वा-दिगोली मोटर मार्ग जो बाद में गडोरा-किरुली नाम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित है, के किमी. 4 से प्रारम्भ होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 1.50 किमी. के प्रस्तावित संरेखण से हरिजन बाहुल्य ग्राम मेहरगांव जुड़ जाता है। उक्त मार्ग निर्माण से अनुसूचित ग्राम मेहरगांव - 181 लाभान्वित होंगे। उक्त संरेखण में कोई भी धार्मिक स्थल, कब्रस्थान आदि नहीं पड़ते हैं तथा प्रस्तावित संरेखण के किमी. 1 में 6 मी. स्पान आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण भी किया जाना है। उक्त समरेखण अधिकांशतया सिविल भूमि से होकर गुजरेगा तथा शेष भाग नापभूमि से होकर गुजरेगा। प्रस्तुत संरेखण से ग्रामवासी सहमत हैं, क्योंकि गांव चारधाम यात्रा मार्ग के समीप है, प्रस्तावित संरेखण का मार्ग बन जाने से ग्राम को यातायात का विशेष लाभ की सुविधा मिल जायेगी।

संरेखण का विवरण:-

उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सर्वे ऑफ इण्डिया के कन्टूर, मानचित्र पर प्रस्तावित समरेखण क्रमशः लाल एवं हरे रंग से दर्शाया गया है। जिसमें लाल रंग प्रस्तावित संरेखण से क्षेत्र की जनता सन्तुष्ट है तथा तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरेखण (1) ही उचित है।

(20) PE

20/11

चमोली जिला
जनपद चमोली, लो. वि. वि.
बोरोबर (चमोली) वि.

तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1.	मुख्य विशेषताएँ एवं विवरण	यह सरेखण गडोरा-किरुली मोटर मार्ग के किमी. 4 से प्रारम्भ होकर मेहरगांव तक जायेगा।	समरेखण नं. 1 के अनुसार
2.	प्रस्तावित दृष्टिकोण से समरेखण की लम्बाई	1.50 किमी.	1.50 किमी.
3.	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग	पैदल मार्ग
4.	भूमि (अ) सिविल/वन भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि 11. सिंचित 12. असिंचित	1.00 किमी. शून्य शून्य सम्पूर्ण लम्बाई में शून्य मिट्टी, पत्थर, आदि पेड़ पौधे	1.00 किमी. शून्य शून्य सम्पूर्ण लम्बाई में शून्य अत्यधिक मूखलन वाला क्षेत्र पेड़ पौधे
5.	सूर्य प्रकाशित भूभाग	1:20 R level 1:20 F	1:17 R, 1:20 R Level, 1:20 F level
6.	भूखलन	20 से 40 तक	30 से 50 तक
7.	भूमि	30 से 60 तक	50 से 70 तक
8.	वनस्पति	0.500 किमी.	0.500 किमी.
9.	मार्ग का ढाल	1.00 किमी.	1.00 किमी.
10.	अनुप्रस्थ ढाल-1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	शून्य	शून्य
11.	भू-भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता
12.	अस्थिर/भूखलन भूमि की लम्बाई	शून्य	शून्य
13.	साधन 1. लकड़ी 2. पत्थर 3. मजदूर	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता
14.	पानी का विकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (अ) बड़े पुल संख्या व विस्तार	शून्य शून्य	शून्य शून्य

क्र.सं.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग सर्व ऋतु योग्य रहेगा। ठंडी जलवायु	समरेखण नं. 1 अनुसार,
16.	लागावित्त ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रूप से (ब) अप्रत्यक्ष रूप से	मेहरगांव - 181	-
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	यह संरेखण गडोरा-किरुली मोटर मार्ग के किमी. 4 से प्रारम्भ होकर मेहरगांव तक 1.50 किमी. नव निर्माण करने हेतु गठित किया गया है। जिसमें ग्राम मेहरगांव ग्राम प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से मोटर मार्ग से जुड़ जायेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार समरेखण नं. 1 अनुसार
18.	सामरिक महत्व	-	-
19.	हेयर पिन् बैण्ड	4 नं.	5 नं.
20.	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावार जैसे दालें, गेहूँ आदि का दुलान स्थानीय बाजार में आसानी से पहुँचने के कारण बाजार की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार
21.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी जैसे झूला एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
22.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
23.	लाभ	1. इस समरेखण में मात्र 4 एच.पी. बैण्ड पड़ते हैं। 2. यह समरेखण लगभग 0.750 किमी. सीढ़ीनुमा खेतों में गुजरता है। 3. ग्राम वासियों के मकानों को कोई क्षति नहीं होगी। 4. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी है। 5. इस संरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत हैं। 6. इस संरेखण पर मार्ग का निर्माण मितव्ययी होगा। 7. उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से अनुसूचित जाति ग्राम मेहरगांव को आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।	1. इस समरेखण में मात्र 4 एच.पी. बैण्ड पड़ते हैं। 2. यह समरेखण लगभग प्रथम 1.00 किमी. सीढ़ीनुमा खेतों में गुजरता है। 3. ग्राम वासियों के मकानों को क्षति होने की सम्भावना होगी। 4. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी नहीं है। 5. इस संरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं। 6. इस संरेखण पर मार्ग का निर्माण मितव्ययी नहीं होगा। 7. उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से मेहरगांव को आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।

हानि

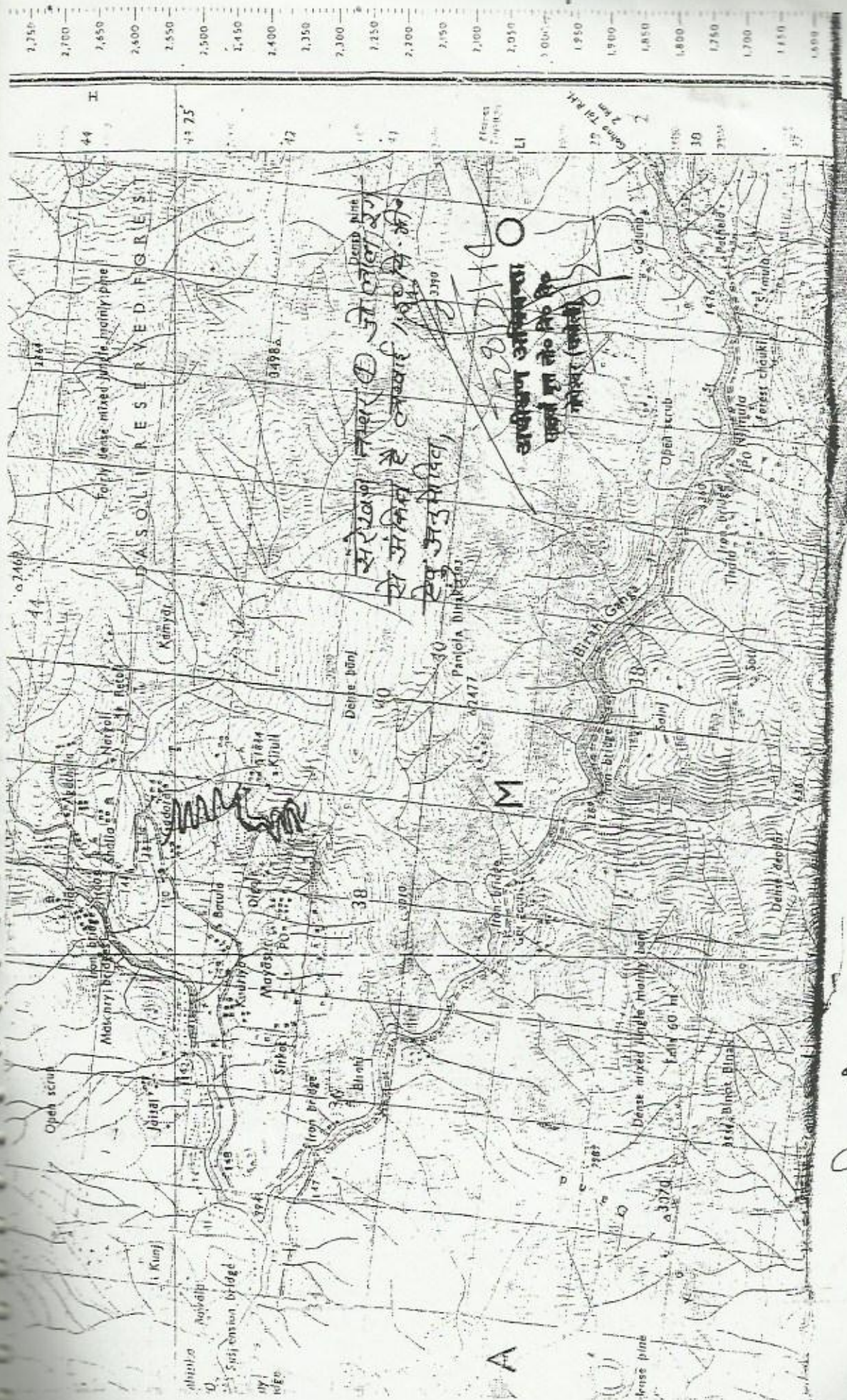

J.E.

1. इस समरखेण में 4 एच.पी. बैण्ड होने के स्थानीय कास्तकारों की कृषि मात्र 0.750 किमी. लंबाई अधिग्रहित की जायेगी।
2. कृषि योग्य भूमि कम अधिग्रहित करने से कास्तकारों को कम हानि होगी।
3. क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा का भुगतान कम करना पड़ेगा।

1. इस समरखेण में 5 एच.पी. बैण्ड होने के कारण स्थानीय कास्तकारों की कृषि अधिग्रहित की जायेगी।
2. कृषि योग्य भूमि अधिक अधिग्रहित करने से कास्तकारों को अधिक हानि होगी।
3. क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा का भुगतान अधिक करना पड़ेगा।


सहायक अभियन्ता
प्रा. ख. लो. नि. वि. ०
बोपल


उपस्थित अधिकारी
आ. वि. नि. वि. ०
बोपल (आ. वि. नि. वि. ०)



प्रस्तावित संरक्षण 01
संरक्षण क्षेत्र- 02

[Signature]

J. E.

[Signature]

सहायक वनिकर
प्रो० ए० ए० नि० दि०
गोपबंदर

[Signature]

वर्तमान वनिकर
प्रो० ए० ए० नि० दि०
गोपबंदर

न्यूनतम भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जो सिविल/वन पंचायत वन भूमि ली गयी है, वह न्यूनतम है तथा लो0नि0वि0 मानक के अनुसार इससे कम भूमि में मार्ग निर्माण सम्भव नहीं है।

अमान

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिसासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

एम० एस० बिष्ट
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र.....प्रद्वारी
तहसील चमोली
जनपद-चमोली

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी,

वैकल्पिक भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जिस सिविल, वन पंचायत वनभूमि का चयन किया गया है, इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। यह भूमि केवल मार्ग निर्माण के लिये ही प्रयोग में ली गई है, तथा अन्य सार्वजनिक कार्य में नहीं ली जायेगी।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशायी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

एम० एस० बिष्ट
राजस्व उपनिरीक्षक
पटवारी
तहसील चमोली
जनपद-चमोली

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी,

लैण्ड शैड्यूल (सिविल)

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद का नाम	तहसील	ब्लाक	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा हे० में :	याचित क्षेत्रफल हे० में
1	2	3	4	5	5
चमोली	चमोली	दशोली	8	0.665	0.665
			मक डिमांड	0.048	0.048
		योग :-	8	0.713	0.713

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

एम० एस० बिष्ट
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-५५१५५५....
तहसील-उमराजसूरी निरीक्षक
जनपद-चम्भोली

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी,
चमोली

मार्ग पर प्रभावित भूमि की स्थिति

कार्य का नाम :- जनपद बमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ब्ला-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

चैनेज मीटर में	लम्बाई मीटर में	भूमि का प्रकार (क्षेत्रफल हे० में)			
		नाप भूमि	सिविल भूमि	आरक्षित भूमि	वन पंचायत
1	2	3	4	5	6
0-300	300	--	0.210	--	--
300-500	200	0.1400	--	--	--
500-600	100	--	0.070	--	--
600-850	250	0.175	--	--	--
850-1200	350	--	0.245	--	-
1200-1300	100	0.070	--	--	-
1300-1500	200	--	0.140	--	-
		मक डिपॉजिट	0.048		
Total -	1500	0.385	0.713	0.000	0.000

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

खसरे की नकल

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

[illegible]

एम० एस० बिष्ट
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-११/पटवारी
तहसील चमोली
बनपद-चमोली

अमीन

तहसीलदार

कनिष्ठ अभियन्ता

उपजिलाधिकारी

सहायक अभियन्ता

अधिशायी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
गोपेश्वर

लम्बाई एवं चौड़ाई का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण में चयनित स्थल हेतु 0.385 हे० नाप, 0.713 हे० सिविल वनभूमि पड़ती है, मार्ग निर्माण हेतु 7.00 मी० चौड़ाई में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तथा मार्ग का निर्माण 7.00 मी० चौड़ाई में किया जायेगा।

550 मी० x 7 मी० = 3850 वर्ग मी०	- 0.385 हे० नाप वनभूमि
950 मी० x 7 मी० = 6650 वर्ग मी०	- 0.665 हे० सिविल वनभूमि
2 x 40 मी० x 6 मी० = 480 वर्ग मी०	- 0.048 हे० सिविल वनभूमि

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशोसी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

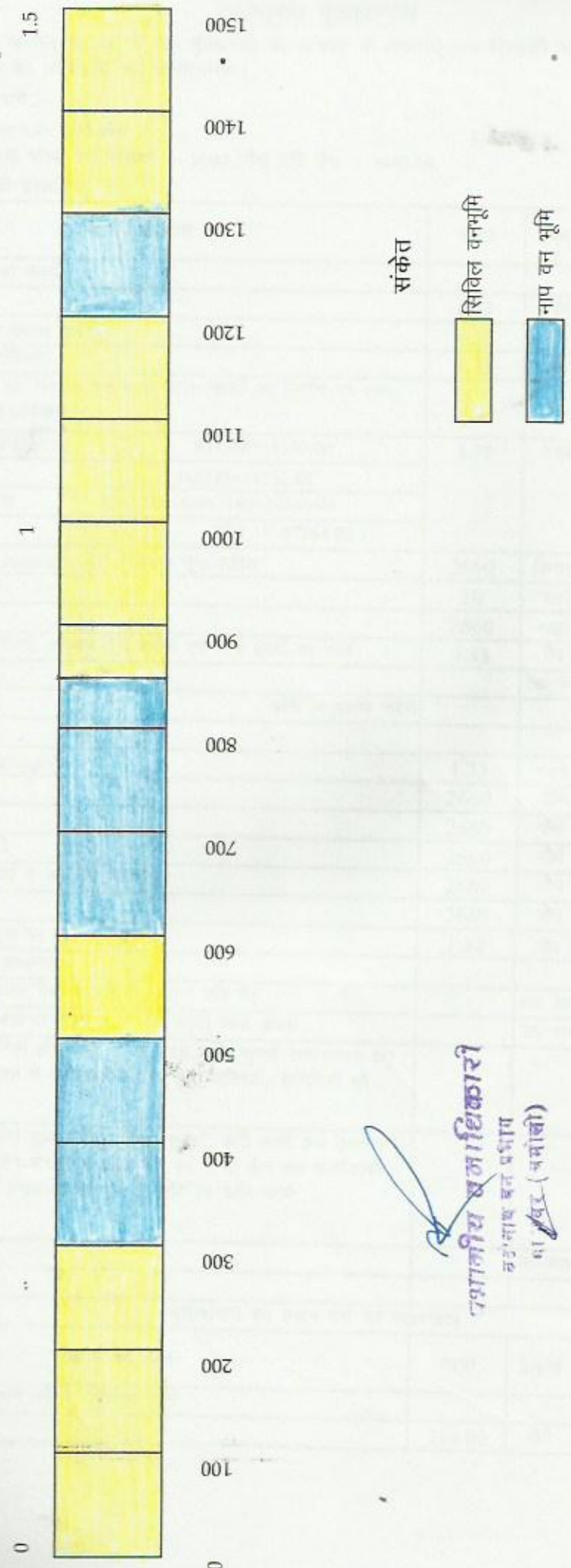
एम० एस० बिष्ट
तहसील प्रमुख
तहसील चमोली
जनपद-चमोली

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी,

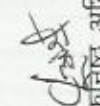
बार चार्ट

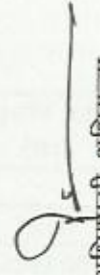
कार्य का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।




माननीय सहायिका
मुख्यमंत्री कार्यालय
ना. वि. (चमोली)


सहायक अभियन्ता


कनिष्ठ अभियन्ता


अधिसूची अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

अमीन

सतिपूरक वृक्षारोपण

40

1-समिति/संस्था का नाम- जनपद धनोली में सड मुखमन्त्री की धोषणा के अन्तर्गत त्वां दिनाली मोटर मार्ग से मेहरनाथ उक
डिटर मार्ग हेतु वन भुमि का लोनिदि को हस्तान्तरण।

2-वृक्षारोपण स्थल का नाम :-

3- क्षेत्रफल :- 0.665 hec x 2= 1.33 hec

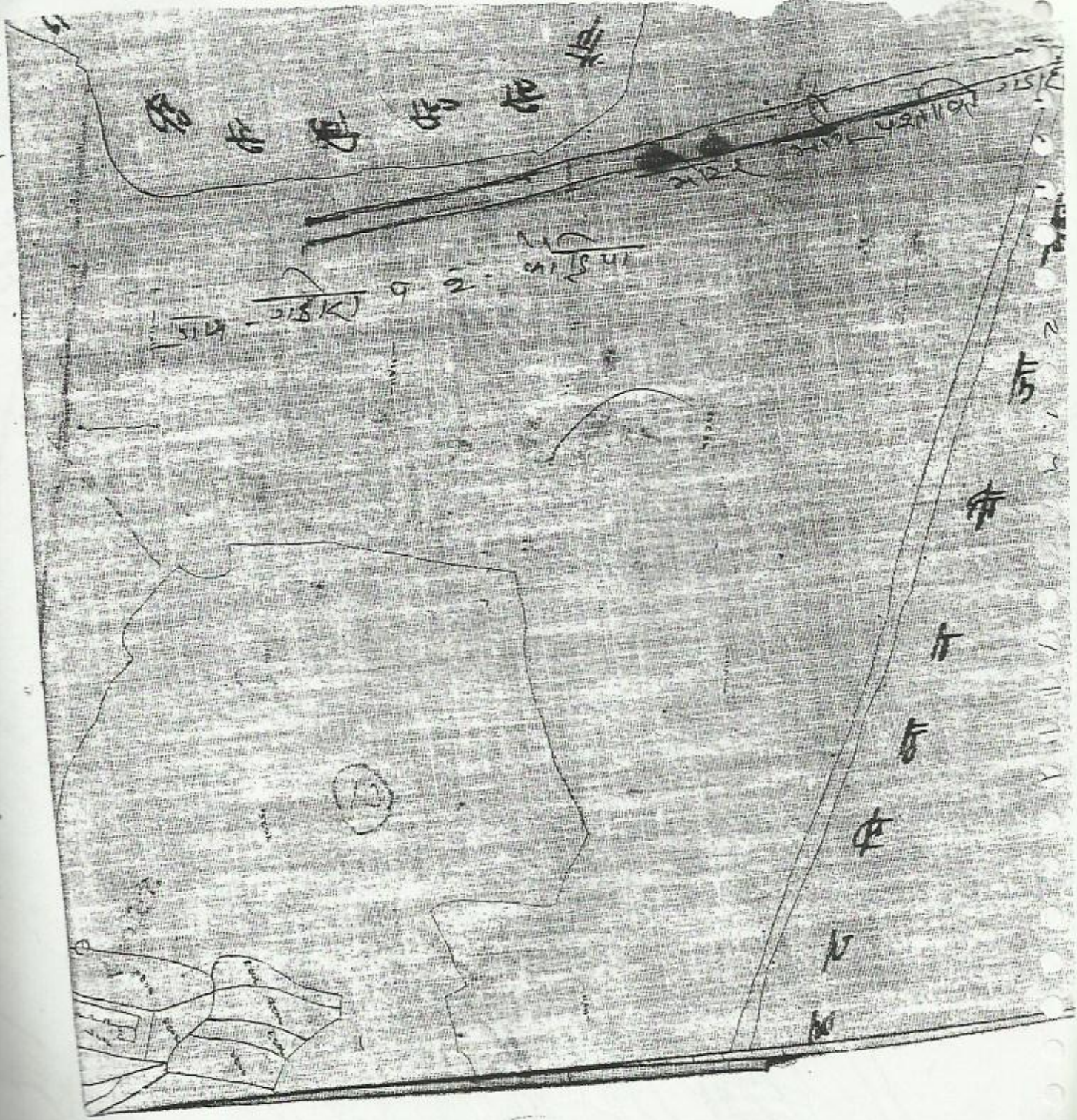
4- रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 2000 पौध प्रति है0 - 2660.00

5- रोपित की जाने वाली प्रजातियां :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य				
1	सर्वे एवं सीमांकन	1.33	है0	78.00	103.74
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1.33	है0	2543.00	3382.19
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेन्सिंग)	1.33	है0	15309.00	20360.97
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अनियात्रिक कार्यों हेतु प्राविधान				
	1- वानस्पितिक चैकडेम - 4x4588=18352.00	1.33	गड़डे	5726.40	7616.112
	2- स्टोन चैकडेम - 4x4588=18352.00				
	3- वाटर हारवेटिंग टैंक (3x2.50x10)4x5140=20560.00				
	योग :- 57264.00				
5	गडडा खुदान कार्य (0.30X0.30X0.45) रेंखाकन चूना सहित	2660	किग्रा0	5.42	14417.20
6	निरीक्षण बटिया बनाना	20	गडडे	624.00	12480.00
7	पौध की कीमत	2660	गडडे	4.30	11438.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तैज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	1.33	है0	624.00	829.92
9	अन्य कार्य		ल0 स0		500.00
	योग - प्रथम चरण				71128.13
2	द्वितीय चरण				
1	गडडा भरण (0.30X0.30X0.45)	1.33	गडडे	0.97	1.29
2	पौधों का मूल्य	2660	पौधे	1.20	3192.00
3	पौध दुलान कार्य	2660	पौधे	6.00	15960.00
4	पौध रोपण व थालाबन्दी	2660	पौधे	1.89	5027.40
5	पौधों की निराई - गुडाई व मलचिंग (दो बार)	2660	पौधे	1.29	3431.40
6	खाद व दवा पर व्यय	2660	पौधे	1.00	2660.00
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय 7 माह	1.33	है0	468.00	4357.08
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत				
	सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0		ल0 स0		1000.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी. की पट्टी साफ करना		ल0 स0		2000.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			LS	1000.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध दुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्कूमेंटेन आदि कार्य			LS	1000.00
10	अन्य कार्य		ल0 स0		500.00
	योग द्वितीय चरण :-				40129.1701
	वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रखरखाव				
क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य				
1	पौधों की लागत	266.00	पौधे	5.50	1463.00

2	पौध डुलान कार्य	266.00	पौधे	6.00	1596.00
3	पुनः गडढा खोदना एवं रोपण कार्य	266.00	गडढे	3.20	851.20
4	गडढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	266.00	गडढे	1.33	353.78
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	266.00	पौधे	1.11	295.26
6	वनीकरण चौकीदारी (12 माह) 1 वर्ष	1.33	है०	468.00	7469.28
7	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल० स०		2000.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०		ल० स०		1000.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० फुट टी साफ करना		ल० स०		2000.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना			L.S	1000.00
3	अन्य कार्य		ल० स०		500.00
	योग				18528.52
वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	1.33	है०	468.00	7469.28
2	अन्य कार्य		ल० स०		500.00
	योग				7969.28
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	1.33	है०	468.00	7469.28
2	अन्य कार्य		ल० स०		500.00
	योग				7969.28
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	1.33	है०	468.00	7469.28
2	अन्य कार्य		ल० स०		500.00
	योग				7969.28
वृक्षारोपण का पंचम वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	1.33	है०	468.00	7469.28
2	अन्य कार्य		ल० स०		500.00
	योग				7969.28
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	1.33	है०	468.00	7469.28
2	अन्य कार्य		ल० स०		500.00
	योग				7969.28
वृक्षारोपण का सातवें वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	1.33	है०	468.00	7469.28
2	अन्य कार्य		ल० स०		500.00
	योग				7969.28
वृक्षारोपण का आठवें वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त आठवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	1.33	है०	468.00	7469.28
2	अन्य कार्य		ल० स०		500.00
	योग				7969.28
वृक्षारोपण का नौवें वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नौवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	1.33	है०	468.00	7469.28
2	अन्य कार्य		ल० स०		500.00
	योग				7969.28
वृक्षारोपण का दसवें वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त दसवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	1.33	है०	468.00	7469.28
2	अन्य कार्य		ल० स०		500.00
	योग				7969.28
	कुल योग :-				281009.3421

कार्य का नाम :- जनपद चमौली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषितानुसार नवादिहौली से
मौतर मार्ग से मैहरगांव तक मौतर मार्ग निर्माण हेतु पत्राचार हेतु प्रस्ताव -
प्रस्ताव। क्षतिपूर्ति वृद्धारोपण दस्तावेज (42)

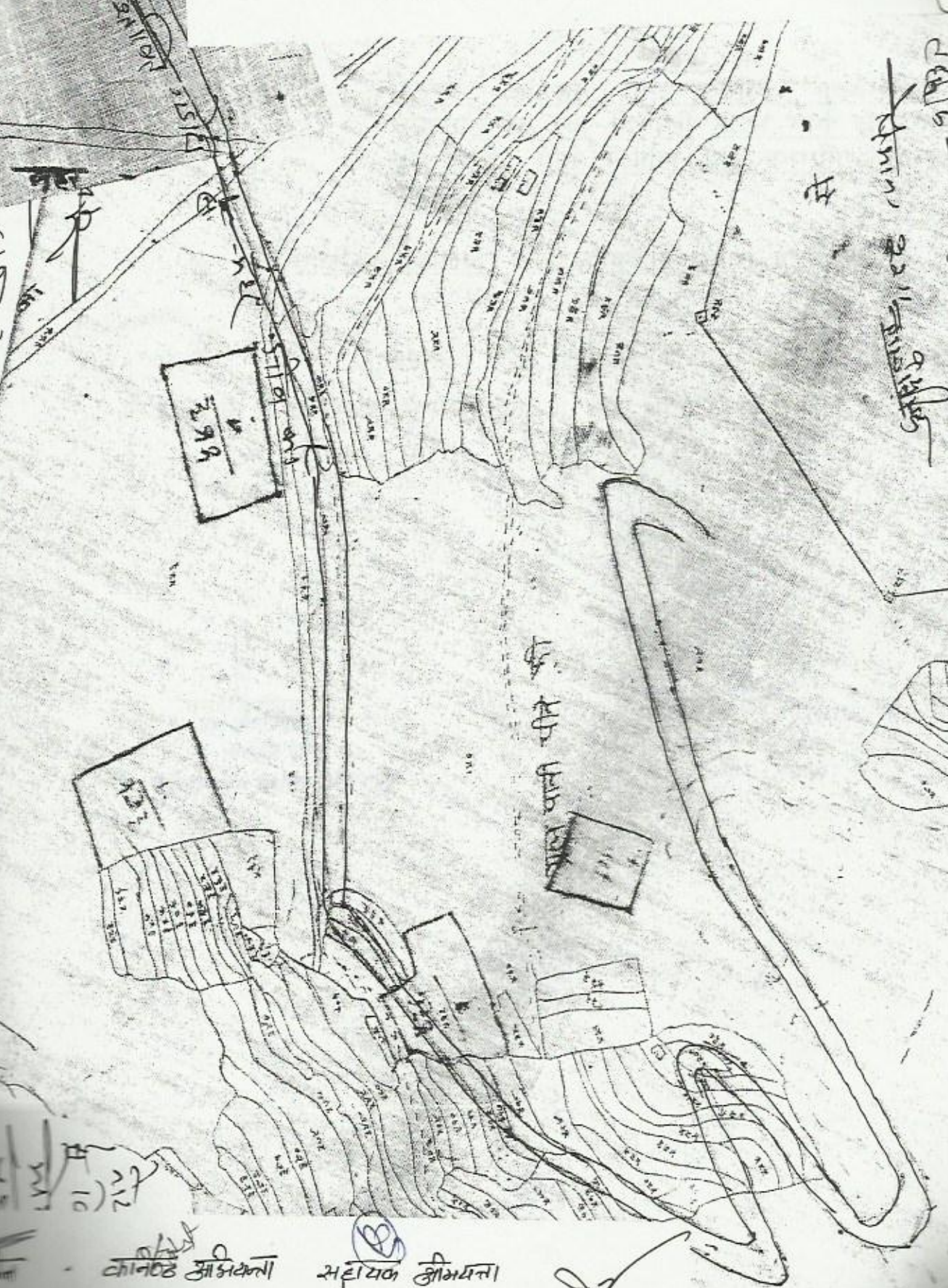


अमान
कानूनी अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
अधेशासी अभियन्ता
प्रा. स्व. लौ. नि. वि.
गोपेश्वर।
उप जिला अधिकारी

कार्य का नाम :- जनपद चमोली से गौरीनाथ मुख्यमार्ग को धौलीगंगा नदी तक
 दिगौली मीटर मार्ग से मेहरगाव तक मीटर मार्ग निर्माण का
 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

(43)

सूच. प्र. - 24/2/19
 लक्ष्मी



सूच. प्र. - 24/2/19
 लक्ष्मी

कारिष्ठ अधिकारी सहायक अभियंता
 उपजिला अधिकारी

आदेशाधीन अधिकारी
 जॉन रॉक लॉन्ग सि.
 गोपेश्वर ।

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम गडोरा में 1.33 हेक्टर सिविल भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो स्थल चयन किया गया है, वह उपयुक्त है।

वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
चमोली डेप्यु
राष्ट्रीय वन प्रभाग गोपेसद

प्रभु उपवन संरक्षक अधिकारी
बदाम थ वन भा।
बोपेश्वर (चमोली)

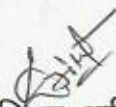
म
जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

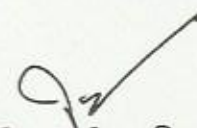
दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 0.412 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में समान अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 1.33 हे० में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लो०नि०वि० द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण प्राक्कलन :-

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत ल्वां दिगोली मोटरमार्ग से मेहरगांव तक 1.50 किमी. मोटर मार्ग निर्माण में रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण प्राक्कलन।

स्थल का नाम	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है० से किमी०	प्रस्तावित रोपण कार्य का विवरण	दर प्रति कि० मी० लाख में	धनराशि (रु०में)
1	2	3	4	5
ल्वां दिगोली से मेहरगांव मोटर मार्ग	1.50 किमी०	पौध का मूल्य - 100 पौध रोपण कार्य, ट्री गार्ड का दुलान मूल्य एवं तीन वर्षों तक अनुरक्षण	2.00 लाख प्रति रो० किमी०	3,00,000.00

प्रभारी अधिकारी

बटन थ वन भाग

चमोली

इ०, २०२०/२०२१ अनुभाग
बटन थ वन भाग, चमोली

प्रभारी अधिकारी
चमोली जेम्स

बटन थ वन भाग, चमोली

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र,

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।


सहायक अभियन्ता (मुख्यालय)
प्रान्तीय खण्ड, लॉ० नि० वि०
गोपेश्वर


अधिशमसी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण वि०
गोपेश्वर

श्रीमान वनक्षेत्राधिकारी महोदय
पीपलकोटी रेंज गोपेश्वर।

विषय:- महर गांव मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण करना।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि 27/10/2014 को महर गांव मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण लोकनि०वि० गोपेश्वर के साथ किया गया। तथा मोटर मार्ग निर्माण में आने वाले पेड़ों के सूचि निम्न प्रकार है।

महर गांव मोटर मार्ग प्रभावित वृक्षों की सूचि

क्र०सं०	प्रजातिवार वृक्ष	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	योग	वृक्ष स्वामी का नाम
1	सुराई	5	36	15	-	-	-	-	-	-	56	श्री सतेश्वर प्रसाद पुत्र श्री प्रिति प्रसाद
2	चीड	5	42	21	-	-	1	-	-	-	69	श्री नागेन्द्र लाल
3	सीरस	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	श्री गजेन्द्र लाल पुत्र श्री बच्ची लाल
4	बाज	11	5	-	-	-	-	-	-	-	16	श्री आलमी लाल पुत्र श्री उमेदू लाल
5	खडीक	3	2	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	पैया	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	वनपंचायत गडोरा
7	अखरोट	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	सिविल क्षेत्र महर गांव
8	तिमला	4	2	-	-	-	-	-	-	-	6	
9	ठेलका	3	2	-	-	-	-	-	-	-	5	
10	दालचीनी	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
11	कचनार	3	1	-	-	-	-	-	-	-	4	
	योग	34	94	37	-	-	1	-	-	-	166	166

अतः संयुक्त निरीक्षण की सूचना श्रीमान वनक्षेत्राधिकारी महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।



पूर्ण सिंह चौहान
वन दरोगा
पीपलकोटी रेंज
गोपेश्वर।

पेड़ों की सूची

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्रम सं०	कम्पार्टमेंट या गांव का नाम	पेड़ों की प्रजाति	पेड़ों की संख्या	पेड़ों की उम्र या व्यास सेमी०	वृक्षों की संख्या		वृक्षों की दर	वृक्षों की कीमत	विवरण
					काबिल	नाकाबिल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्राम मेहरगांव सिविल	सुराई	5	0-10			75.00	375.00	
			36	10-20			130.00	4680.00	
			15	20-30			180.00	2700.00	
		चीड़	5	0-10			90.00	450.00	
			42	10-20			240.00	10080.00	
			21	20-30			600.00	12600.00	
			1	50-60			8565.00	8565.00	
		सीरस	1	10-20			80.00	80.00	
		बांज	11	0-10			50.00	550.00	
			5	10-20			145.00	725.00	
		खड़ीक	3	0-10			50.00	150.00	
			2	10-20			80.00	160.00	
		पयाँ	1	10-20			80.00	80.00	
		अखरोट	1	10-20			190.00	190.00	
			1	20-30			960.00	960.00	
		तिमला	4	0-10			50.00	200.00	
			2	10-20			80.00	160.00	
		ठेलका	3	0-10			50.00	150.00	
			2	10-20			80.00	160.00	
		दालपीनी	1	10-20			80.00	80.00	
		कचनार	3	0-10			50.00	150.00	
			1	10-20			80.00	80.00	
		योग :-	166					43325.00	

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशोषी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

एम० एल० विष्ट
राज्य उपनिरीक्षक
वन... प्रदवारी...
जनपद चमोली
जनपद-चमोली

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी

प्रभागीय जिलाधिकारी

जिलाधिकारी

वृक्षों का सारांश बांज प्रजाति

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

[illegible]

वनक्षेत्राधिकारी

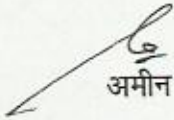
वन संरक्षक

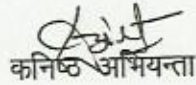
न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

MUCK DISPOSAL EXCERISISE INDEX

- 1- Construction of MaherGaon motor road from Gadora-Kiruli motor road from Km 4. Under State Sector.
- 2- Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Annexure II

Annexure -I

Name of Work :-

Construction of MaherGaon motor road from Gadora-Kiruli motor road from Km 4. Under State Sector.

Sl. No.	Item	No.	L	B	H	Quantity	Unit
1	Material received from hill side cutting taking 80% of total quantity						
		(1x1/2x1500x7x3)x80%				12600.00	Cum
2	Swell Factor	Taking 40% of total quantity				5040.00	Cum
			Total Muck -			17640.00	Cum
DISPOSAL AND USE OF MATERIALS							
1	R.R. stone masonry 1:6	1x50	15.00	(0.60+1.27)/2	2.00	1402.50	Cum
2	R.R. stone masonry laid in Dry	1x80	20.00	(0.60+1.27)/2	2.00	2992.00	Cum
3	I.L.P. stone filling	1x80x1/3	20.00	(1+.5)/2	1.50	600.00	Cum
4	P/L of wire creat wall	1x5	3.00	1.50	1.50	33.75	Cum
5	C/O parapets	1x60	3.00	0.60	0.45	48.60	Cum
6	Granular sub base/base/surface	1x35	14.00	3.75	0.10	183.75	Cum
			Total Used Materials :-			5260.60	Cum
	Material Disposal by Cartage in Dumping Yard					12379.40	Cum
LOCATION AND QUANTITY OF DEBRIES DISPOSAL							
Sl. No.	Location of dumping yard	Size of dumping yard		Type of land	capacity of dumping yard		Unit
1	X.S. 0/9	40x6x3.50		Civil	840.00		cum
2	X.S. 0/21	40x6x3.50		Civil	840.00		Cum
				Total-	1680.00		Cum
SUMMARY OF DABRIES (MUCK) DISPOSAL							
Sl. No.	Total Dabries	Material diposed by Cartege		Reused materials (road construction)	Total Disposal in Dumping Zone		Balance Dabries
1	17640.00	12379.40		5260.60	12379.40		0.00

सहायक अभियन्ता

प्रा० खाण्ड सी० नि० वि०
गोपेश्वर

अभियन्ता अभियन्ता
प्रा० खाण्ड सी० नि० वि०
गोपेश्वर

Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Detail

Sl. No.	Chainage	Name of Land Owner & Village	Land in Hec.	Land in Sqm	Land area being used for dumping yard (sum)	Longitude	Latitude
1	X.S. 0/9	Uttarakhand Govt. Land	0.030	300.00	240.00	79°25'36.64" E	30°24'36.95" N
			0.030				
2	X.S. 0/21	Uttarakhand Govt. Land	0.030	300.00	240.00	79°25'36.78" E	30°24'33.70" N
		Total-	0.030				
		Grand Totla-	0.060	600.00	480.00		
				or	0.048	Hec.	

[Signature]


 सहायक अभियन्ता
 प्रा० खण्ड सी० वि०
 गोपश्वर


 अधीक्षक अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड सी० वि०
 गोपश्वर

मक डिस्पोजल के सापेक्ष वृक्षारोपण

परियोजना का नाम- जनपद बगौली में माननीय मुख्यमंत्री छोड़ान्तर्गत एम-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

वृक्षारोपण स्थल का नाम- मक डिस्पोजल हेतु विनियत प्लान के अनुसार क्षेत्रफल

रोपित किये जाने वाले पौधों की की सं. (कुल क्षेत्रफल X 2000 पौधे) = $0.048 \times 2000 = 96$

प्रथम वरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	मात्रा	यूनिट	दर रु में	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.048	hect	78.00	3.74
2	स्थल साफाई कार्य	0.048	hect	2543.00	122.06
3	कुली दीवार बन्दी कार्य / फनिराग (150 मी./हे. 81 घन मी. / 172 घन मी.)	0.048	hect	15309.00	734.83
4	गड़ढा खुदान (0.30X 0.30X 0.45) रेखांकन वूमा सहित	96.00	Gaddha	5.420	520.32
5	डी.ए.पी. खाद की लागत (25 ग्राम प्रति गड़ढा)	2.40	kg	19.00	45.60
6	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रु प्रति हे.)	0.05	hect	624.00	29.95
7	पौधे की कीमत प्रथम वर्ष	96.00	podhe	4.30	412.80
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 हे.) के आधार पर मानते हुए				0.00
	1 वाटरपतिक/स्टोन बैकडैम 8 * 4588	36700.00			0.00
	2 वाटर हावेरिंग टेक (3 X 2.50 X 1.00) 5X 5140	25700.00			0.00
	योग = 62400.00	0.048	hect	62400.00	2995.20
	योग प्रथम वरण-				4864.51

द्वितीय वरण-

1	झाड़ी कटान (लेन्डाना गाजर घारा/ काला बारा)	0.048	hect	1287.00	61.78
2	गड़ढा मरान (0.30X 0.30X 0.45) रेखांकन वूमा सहित	96.000	Gaddha	0.97	93.12
3	पौधा दुलान कार्य	96.000	podhe	6.00	576.00
4	पौधा रोपण व थाला बन्दी	96.000	podhe	1.89	181.44
5	पौधे की प्रथम निराई गुड़ाई एवं मलविय कार्य	96.000	podhe	1.29	123.84
6	पौधे की द्वितीय निराई गुड़ाई एवं मलविय कार्य	96.000	podhe	1.11	106.56
7	पौधे की कीमत द्वितीय वर्ष	96.000	podhe	1.20	115.20
8	प्रथम वर्ष में देख रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.048	hect	468/hect/month	202.18
9	अन्य कार्य	0.048	hect	310.00	14.88
	योग द्वितीय वरण-				1474.99

तृतीय वरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति हे.

1	पौधे की लागत	96.00	podhe	5.50	528.00
2	पौधा दुलान कार्य	96.00	podhe	6.00	576.00
3	पुन गड़ढा खोदना एवं रोपण कार्य	96.00	podhe	3.20	307.20
4	गड़ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	96.00	podhe	1.31	125.76
5	पौधों की शीतकालीन मल्विन	96.00	podhe	1.11	106.56
6	वनीकरण बीकीदार 12 माह	0.048	hect	468/hect/month	269.57
7	अग्नि सबन्धी सुरक्षा कार्य	0.048	hect	310.00	14.88
	योग तृतीय वरण				1927.97

चतुर्थ वरण (रखरखाव कार्य)

सहायक अभियन्ता

अधीनस्थ अभियन्ता
निर्माण वि०

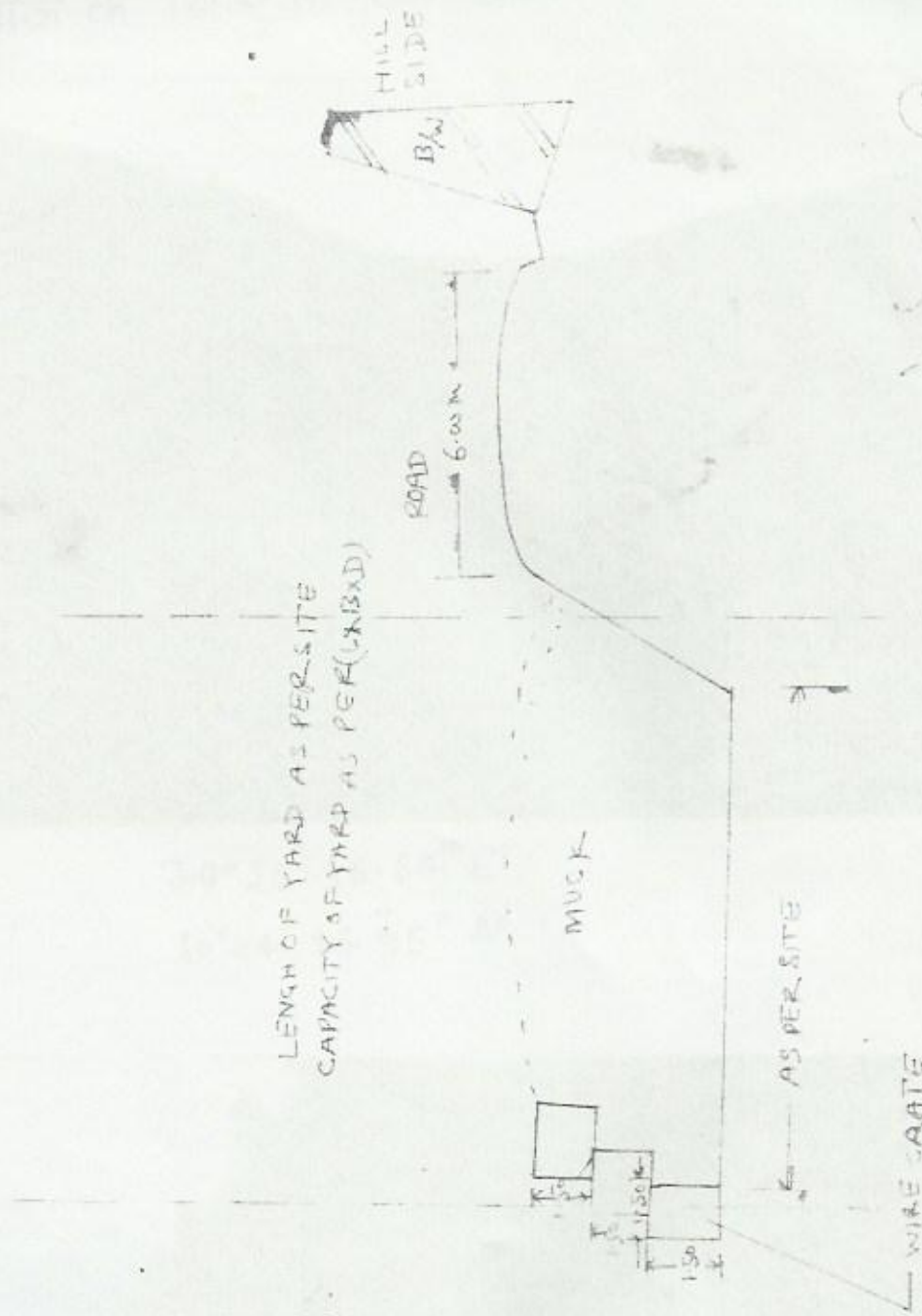
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.048	hect	468/hect/month	269.57
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	0.048	hect	310.00	14.88
	योग वतुर्थ वरण				284.45
पंचम वरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.048	hect	468/hect/month	269.57
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	0.048	hect	310.00	14.88
	योग पंचम वरण				284.45
छठवा वरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.048	hect	468/hect/month	269.57
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	0.048	hect	310.00	14.88
	योग छठवा वरण				284.45
सातवा वरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.048	hect	468/hect/month	269.57
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	0.048	hect	310.00	14.88
	योग सातवा वरण				284.45
आठवा वरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.048	hect	468/hect/month	269.57
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	0.048	hect	310.00	14.88
	योग आठवा वरण				284.45
नौवा वरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.048	hect	468/hect/month	269.57
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	0.048	hect	310.00	14.88
	योग नौवा वरण				284.45
दसवा वरण (रखरखाव कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह	0.048	hect	468/hect/month	269.57
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य	0.048	hect	310.00	14.88
	योग दसवा वरण				284.45
कुल धनराशि				प्रथम वरण	4864.51
				द्वितीय वरण	1474.99
				तृतीय वरण	1927.97
				चतुर्थ वरण	284.45
				पंचम वरण	284.45
				छठवा वरण	284.45
				सातवा वरण	284.45
				आठवा वरण	284.45
				नवम वरण	284.45
				दसवा वरण	284.45
				कुल योग	10258.61
				say	10259.00

सहायक अभियन्ता
प्रा० खाण्ड वी० वि०
गोपेश्वर

अधिसूचक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण वि०
गोपेश्वर

एन डेपुटी कमिश्नर
बनोरी जेन
कोटवार एन डेपुटी कमिश्नर

NAME OF WORK - CONSTRUCTION OF CATCHMENT - DRAINAGE M/R UNDER PWD, PUNJAB



TYPICAL SECTION OF MUCK DISPOSAL YARD

J.E. ~~for~~ सहायक अभियन्ता
खण्ड लोक निर्माण विभाग
जिला लाहौर, पंजाब

for J.E.

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लोक निर्माण वि०
गोपेश्वर

अधिनियम अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण वि०
गोपेश्वर

भक्त के बिन्दुओं की फाँटी

58



$79^{\circ}25'36.64''E$
 $30^{\circ}24'36.95''N$



$79^{\circ}25'36.78''E$
 $30^{\circ}24'28.79''N$

(59)

अभिषेक

अभिषेक

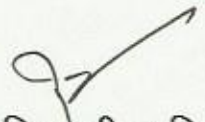
उत्पादित मलवे का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जो भूमि ली जा रही है, मार्ग का निर्माण उससे कम चौड़ाई में किया जायेगा तथा मार्ग निर्माण से उत्पादित मलवे का निस्तारण हियर पिन बैण्ड, दीवार निर्माण एवं निर्माण कार्य में किया जायेगा। अवशेष मलवे की निस्तारण योजना संलग्न है।



सहायक अभियन्ता



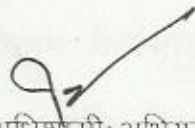
अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत गडोरा-चैतुली मोटर मार्ग के किमी.
4 से अनुसूचित जाति ग्राम मेहरगांव मोटर मार्ग का निर्माण

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यों में जो भी व्यय होगा, उसे लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।


 कनिष्ठ अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
 गोपेश्वर


 सहायक अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
 गोपेश्वर

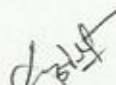

 अधिशासी अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
 गोपेश्वर

वन्य जीव/राष्ट्रीय पार्क से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे० सिविल वनभूमि, राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव बिहार का हिस्सा नहीं है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण से दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग/मार्ग से राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण की दूरी 3.50 किमी० है।


वन सहायिका
चमोली डेपु
राष्ट्रीय वन प्रभाग

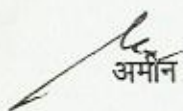

प्रभालीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बोरखुर (चमोली)

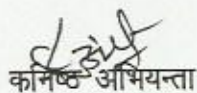
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

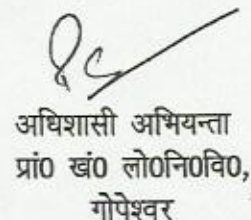
जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


अर्मान


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

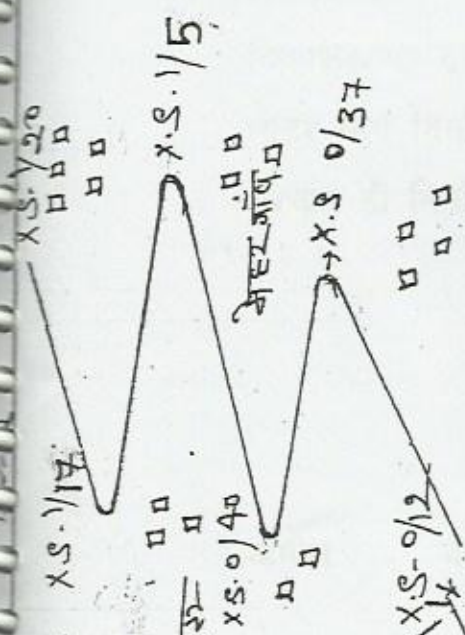
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण जनहित का निर्माण है। इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ग्राम वासियों की आम सभा हुई। आम सभा में निर्णय लिया गया कि इस निर्माण पर पड़ने वाली नाप भूमि/सिविल/वन पंचायत/आरक्षित भूमि आदि किसी प्रकार की भूमि में मोटर मार्ग निर्माण में इस ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाता है।

प्रधान



माप का नाम:- जमपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बदीनाथ में लवा- विजोली मोटर गांव से जेहरावां तक मोटर गांव निवासी का लार्डिन प्लान।

लवा- विजोली मोटर गांव से जेहरावां तक मोटर गांव का प्रारम्भिक माप



सहायक अभियन्ता
मा. ख. लो. नि. वि.
पोपेखर

उ.प्र.

उ.प्र.

उ.प्र. (विजोली)

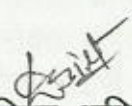
बदीनाथ N.H.-58 पमोली

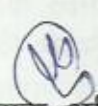
कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण पत्र

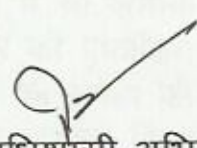
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। वन भूमि हस्तान्तरण होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशोसी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

कार्यालय भूवैज्ञानिक,
जिला टास्क फोर्स, चमोली एवं रुद्रप्रयाग (अति0प्र0)
मुख्यालय गोपेश्वर।

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर।

पत्रांक: 173/जि0टा0फो0/मोटर मार्ग/2014-15,

दिनांक 17 जुलाई, 2014

विषय: जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्दीनाथ मे त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक 1.500 कि0मी0 मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 1899/संयुक्त निरीक्षण/38 सी0, दिनांक 05.04.2014, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रुद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित एवं सहायक अभियन्ता व श्री अशोक कुमार सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा उपरोक्त समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण सम्पन्न किया गया।

भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या सुलभ संदर्भार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

भूवैज्ञानिक।

पृष्ठांक : /जि0टा0फो0/मोटर मार्ग/2014-15 तददिनांकित।
प्रतिलिपि : 1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

PC Attached
AE

सत्य जति लिपि भूवैज्ञानिक।

अध्यक्ष अभियन्ता
प्रा० खण्ड लोक निर्माण वि० वि०

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ में ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक 1.500 कि०मी० मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या

अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 1899/संयुक्त निरीक्षण/38 सी०, दिनांक 05.04.2014, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रुद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व सहायक अभियन्ता एवं श्री अशोक कुमार सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ में ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक 1.500 कि०मी० मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री अशोक कुमार सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर, श्री जीवन लाल व श्री राजेन्द्र लाल, ग्रामवासी, ग्राम मेहरगांव की उपस्थिति में भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या निम्नवत है :-

प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखण वर्तमान समय में गडोरा-किरुली मोटर मार्ग के लगभग 4.000 कि०मी० पर अवस्थित हेयरपिन बैण्ड से निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसमें कि मोटर मार्ग समरेखण भिन्न-भिन्न फेसिंग पहाड़ी ढालों से होकर गुजर रहा है। उक्त मार्ग समरेखण की लम्बाई 1.500 कि०मी० प्रस्तावित है जिसे 04 हेयरपिन बैण्ड्स के निर्माण से निर्मित किया जाना है। मोटर मार्ग समरेखण के निर्माण से ग्राम क्षेत्र के अलग-अलग टोक मोटर मार्ग से जुड़ सकेंगे।

मार्ग समरेखण के भूगर्भीय सर्वेक्षण के दौरान विभागीय अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त समरेखण हेतु अन्य विकल्प वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है एवं जो समरेखण पूर्व में तैयार किया गया था उसमें ग्रामीणों को आपत्ति है।

सम्पूर्ण मोटर मार्ग समरेखण का सामान्य पहाड़ी ढाल लगभग 20° — 50° उत्तर, उत्तरपश्चिम, दक्षिणपश्चिम फेसिंग के पहाड़ी ढालों पर प्रस्तावित है। कतिपय स्थलों पर मार्ग समरेखण के निचले व ऊपरी भूभाग का पहाड़ी ढाल तीव्रता के साथ विद्यमान है। मोटर मार्ग समरेखण को लगभग 1:20 ग्रेडिएन्ट व 04 हेयरपिन बैण्ड्स के साथ निर्मित किया जाना है। मार्ग समरेखण स्थल ग्रामवासियों की निजी नाप भूमि व सिविल भूमि से होकर गुजर रहा है। कतिपय स्थलों में मृदा की गहराईयुक्त परत विद्यमान है जो कि कतिपय स्थलों पर कम व अधिक गहराई के साथ अवस्थित है। मृदा का रंग स्लेट, भूरी प्रकृति की दृष्टिगोचर होती है जिसमें स्थानीय प्रजाति की घास, झाड़ियाँ व वृक्ष आदि विद्यमान हैं।

समरेखण स्थल भूगर्भीय साहित्य में गढ़वाल समूह की चट्टानों में वर्गीकृत है। मार्ग समरेखण स्थल में फिलाइट, फिलिटिक स्लेट प्रकृति की चट्टानें विद्यमान हैं जिनकी प्रसार व नति $100^{\circ}/40^{\circ}$ उत्तर है। समरेखण स्थल के अधिकांश भूभागों में पहाड़ी ढाल व चट्टानों की नति एक ही दिशा में होने के कारण कटाव के पश्चात् भूधसांव की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है एवं अन्य स्थलों पर चट्टानों की नति पहाड़ी ढाल के ऑबलिक विद्यमान है अतः मार्ग कटाव के पश्चात् शीघ्र सुरक्षा धारक दीवारों के निर्माण के साथ स्थल के वर्तमान स्थिति में सुरक्षा के लिए आवश्यक

कि०मी० 1.000 से 1.500 के मध्य :

उक्त के मध्य मार्ग समरेखण गडोरा-किरुली मोटर मार्ग के लगभग कि०मी० 4.000 से प्रारम्भ किया जाना है। प्रारम्भ मे स्थल का सामान्य पहाड़ी ढाल लगभग 20° - 25° विद्यमान है जिसमें सतह पर स्वस्थानें चट्टानों का अभाव है। आगे समरेखण स्थल मे ऊर्ध्वाधर पहाड़ी ढाल दृष्टिगोचर होता है अतः स्थल के एंगिल ऑफ रिपोज को संरक्षित करते हुए मार्ग कटाव कार्य किया जाय। समरेखण के मध्य अवस्थित नाले पर एक छोटी पुलिया का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसमें दोनों एबटमेन्ट स्थलों के सतह पर स्वस्थानें चट्टानें दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः उक्त स्थल पर निर्माण हेतु स्वाइल मैकेनिक्स के सुरक्षित सिद्धान्तों का पालन व कटाव के पश्चात् शीघ्र टो सपोर्ट प्रदान किया जाय। उक्त मार्ग समरेखण के मध्य मे 03 हेयरपिन बैण्ड्स एक ही पहाड़ी ढाल पर निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं जिसमें कि पहाड़ी ढाल की दिशा व चट्टानों की नति एक ही दिशा मे विद्यमान है, जो कि एक प्रतिकूल दशा है अतः हेयरपिन बैण्ड्स का विस्तार इस प्रकार किया जाय कि हेयरपिन बैण्ड्स एक-दूसरे के ऊपर विद्यमान न हो सकें।

विचारणीय बिन्दु :-

1. उक्त मोटर मार्ग समरेखण के अपस्लोप व डाउनस्लोप पर भवन विद्यमान हैं अतः उक्त भवनों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मोटर मार्ग कटाव किया जाय एवं साथ ही भवनों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा वालों का निर्माण शीघ्र किया जाय।
2. समरेखण के स्थलीय निरीक्षण के दौरान उपस्थित अभियन्ता व स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान समय मे ग्राम क्षेत्र को जोड़ने हेतु अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।
3. समरेखण मे तीन हेयरपिन बैण्ड्स का निर्माण एक ही पहाड़ी ढाल पर प्रस्तावित है जिसमें पहाड़ी ढाल व चट्टानों की नति एक ही दिशा मे झुकाव के साथ अवस्थित है जो कि प्रतिकूल स्थिति है।

उक्त स्थल पर मोटर मार्ग समरेखण से पूर्व निम्न सुझाव एवं शर्तों का पालन किया जाय :

1. प्रस्तावित समरेखण स्थल वन भूमि होने की दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम-1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 में निहित प्राविधानों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. समरेखण स्थल को मोटर मार्ग हेतु विकसित करने के लिए अर्द्ध कटाव/अर्द्ध भराव का सिद्धान्त उपयुक्त प्रतीत होता है।
3. मोटर मार्ग के सतही जल प्रवाह को सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से नियन्त्रित कर सुरक्षित स्थल/नालों मे छोड़ा जाय।
4. सम्पूर्ण मोटर मार्ग समरेखण मे जिन स्थलों पर रिटेनिंग व ब्रेस्टवाल की आवश्यकता है उन स्थलों पर उक्त वालों का निर्माण कटाव के शीघ्र पश्चात् किया जाय।
5. समरेखण मे बनाये जाने वाले सुरक्षा दीवारों/टो वाल ब्रेस्टवाल रिटेनिंग वालों का

- की जाय कि जल दीवार के आधार की ओर न जाने पाय तथा ढालदार क्षेत्र के सतही एवं अन्तः सतही जल को चैनलाइज करने हेतु उचित प्रबन्ध किये जाय।
6. समरेखण में पड़ने वाले बरसाती नालों को पक्का कॉजवे बनाकर इस प्रकार संरक्षित/संचारित किया जाय जिससे सतही जल मार्ग की सतह एवं आधार को क्षति न पहुँचे।
 7. समरेखण स्थल को मोटर मार्ग हेतु विकसित करने के लिए विस्फोटकों का प्रयोग वर्जनीय होगा।
 8. समरेखण स्थलों पर रिटेनिंग वाल व ब्रेस्टवाल (वीप होल्स व स्क्रीनिंग मटरियल युक्त) का आधार दृढ़ व कठोर ताजा स्वस्थाने चट्टानों अथवा उचित आधार डिजाइनिंग के साथ रखा जाय।
 9. मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर जहाँ आवश्यक हो समुचित पौधों का रोपण किया जाय जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रक्रिया को नियन्त्रित किया जा सके।
 10. पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिए प्रस्तावित सिविल भूअभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।
 11. मोटर मार्ग समरेखण स्थल पर कटाव के पश्चात् जनित भूस्खलन/भूधसांव से बचने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किये जाय।
 12. मोटर मार्ग कटाव से उत्सर्जित मटरियल को पहाड़ी ढालों पर न फैलाकर किसी सुरक्षित स्थल पर निक्षेपित किया जाय। जिससे वर्षाकाल के दौरान जल के साथ मृदा का प्रवाह न हो सके।
 13. उक्त मोटर मार्ग समरेखण के अप व डाउनस्लोप भूभाग में ग्रामीणों के आवासीय भवन, प्राथमिक विद्यालय भवन आदि विद्यमान हैं अतः उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मार्ग निर्माण कार्य किया जाय।
 14. उक्त समरेखण स्थल के अपस्लोप के कैचमेन्ट से वर्षाकाल के दौरान अधोभूमि व सतही जल प्रवाह को न्यून करने के उचित सिविल भूअभियांत्रिकी मैहजर्स का उपयोग किया जाय जिससे वर्षाकाल में भूधसांव व भूस्खलन को न्यून किया जा सके।

प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखण स्थल पर एकत्रित किये गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं, सुझाव एवं शर्तों के साथ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर समरेखण स्थल, वर्तमान परिस्थितियों में मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त समझा जाता है।

PC Akshool
AE

सत्य प्रोपर्टीज प्रा. लि.

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० बि०
गोपेस्वर

(अमित गौरव)
सहायक भूवैज्ञानिक

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

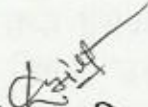
A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.

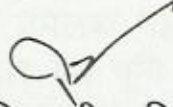
- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

मानक शर्तें

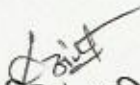
(वन अनुभाग -3, उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-980/82
दिनांक 31-12-1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी ।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदाति नहीं ।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है
5. हस्तांतरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेंगे, और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा ।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा
7. हस्तांतरित वन भूमि पर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी ।
8. बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथासम्भव व्रस्तावित न किया जाये । केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी ।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति बिना किसी प्रकार के प्रतिकर भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी । वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (नजबउजपब) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी ।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर प्लानिगमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी. दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है ।

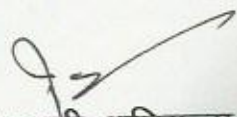
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धि प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा ।
13. वन भूमि में खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तरांचल वन विकास निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन करना आवश्यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा । 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है । इसी प्रकार बांज (दांड) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, जो न्यूनतम पेड़ों की संख्या सुयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक विभाग अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगायी जाती हैं, तो वे याचक विभाग को मान्य होगी ।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये ।

उपरोक्त शर्तें लोक निर्माण विभाग को मान्य हैं ।


अमीन


कमिष्ठ अभियन्ता

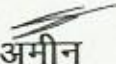

सहायक अभियन्ता

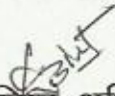

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०
गोपेश्वर

भूगर्भवेत्ता द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण पत्र

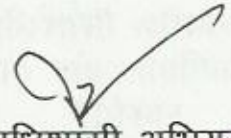
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण के दौरान भूगर्भवेत्ता द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की सभी शर्तें याचक विभाग को पूर्ण रूप से मान्य है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

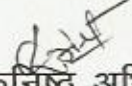
अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

मकान पेड़ आदि का प्रमाण पत्र

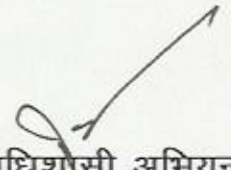
परियोजना का नाम :- जनपद चमौली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगौली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमौली के विकासखण्ड दशौली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण में पड़ने वाली भूमि के अन्दर कोई भी मकान, मंदिर, कब्रस्थान, मस्जिद आदि नहीं पड़ते हैं।

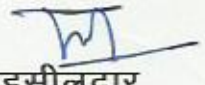

अमीन

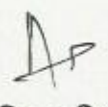

कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशोसी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


एम० एस० बिष्ट
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र... पटवारी
तहसील चमौली
जनपद-चमौली


तहसीलदार


उपजिलाधिकारी,

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

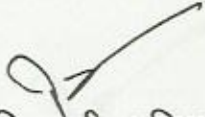
वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान लो०नि०वि० द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कैरोसिन आयल / वैकल्पिक ईंधन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य के समय विभागीय ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को कैरोसिन आयलन / वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची एवं परिवारों की संख्या का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण के पूरी लम्बाई में निर्माण हो जाने से निम्न ग्राम/आबादी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे

क्रम सं.	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	अनुसूचित जाति ग्राम मेहरगांव	27	192
	योग :-	27	192

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

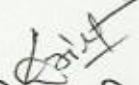
अधिशोषी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

एन.पी.वी. प्रमाण पत्र

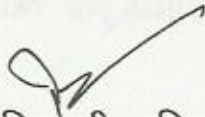
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन.पी.वी. की धनराशि यदि मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बढ़ी हुई एन०पी०वी० धनराशि का भुगतान वनविभाग को किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

एन0पी0वी0/ ईको क्लास प्रमाण-पत्र

(मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार)

परियोजना का नाम:-

एन0 पी0 वी0 लॉट भाग 6 खेडबाव लॉट
लॉट भाग

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित वन भूमि के अंतर्गत पड़ने वाली वन भूमि ईको क्लास-~~IV~~ तथा Dense forest (0.4 घनत्व) के अंतर्गत आता है, जिसका एन0पी0वी0 का मूल्य 713 है0 X 939000/- प्रति है0 की दर से रु0 669507 = 0 () मात्र होता है।

(एन0एन0 पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बदनाथ वन प्रभाग,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

सीमांकन प्राक्कलन :-

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत ल्वां दिगोली मोटरमार्ग से मेहरगांव तक 1.50 किमी. मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष सीमांकन योजना का व्यय।

क्र०सं०	कार्य मद विवरण	कि० मी०	दर प्रति कि० मी०	धनराशि (रु०में)
1	2	3	4	5
1	R. C. R. पिलर (मुनारा) बनाना 1:6 सीमेंट मे मय प्लास्टर करना दो कोट चूना सफेदी नम्बर करना	1.50	11,640.00	17,460.00
	योग	1.50		17,460.00

प्रभावीय अधिकारी

बटन थ वन विभाग
बोरेवाड़ा (चमोली)

रु० 17,460.00
दिनांक २०/१०/२०२०

वन अधिकारी
चमोली देव

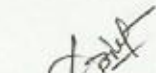
प्राधिकृत वन अधिकारी

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का विवरण

क्रम सं०	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	वृक्षारोपण हेतु लिया गया क्षेत्रफल (हे० में)
1-	ग्राम गडोरा	1027	1.33
2.			
3.			
	सम्पूर्ण योग :-	1 नं०	1.33 हेक्टर


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता

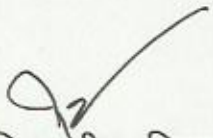

सहायक अभियन्ता


अधिशोषी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

चैक लिस्ट का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव में चैक लिस्ट के अनुरूप समस्त सूचनायें संलग्न की गई हैं।


अमीन
कनिष्ठ अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

फैक्ट सीट

- 1 कार्य का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगो नी मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
- 2 प्रस्तावत भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे.) :-

आरक्षित वन भूमि -	0.713
सिविल एवं सोयम वनभूमि -	
वन पंचायत वन भूमि -	
निजी भूमि -	0.39
योग -	1.10
- 3 प्रस्तावक विभाग का नाम :- प्रां.खण्ड, लो.नि.वि., गोपेश्वर
- 4 वन प्रभाग का नाम :- अलकनन्दा वन प्रभाग, गोपेश्वर
- 5 प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है - हां/नहीं
- 6 प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है - हां/नहीं
- 7 क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है - हां/नहीं
- 8 क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है - हां/नहीं
- 9 प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है -
- 10 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 11 बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 12 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है -
- 13 समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है - हां/नहीं
- 14 क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली घनत्व सही है - हां/नहीं
- 15 क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है - हां/नहीं
- 16 क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है - हां/नहीं
- 17 प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है - हां/नहीं
- 18 क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है - हां/नहीं

- 19 प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है - हां/नहीं
यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 20 क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - हां/नहीं
- 21 प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है - (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाता है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) हां/नहीं
- 22 क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा है - हां/नहीं
- 23 यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हां/नहीं
- 24 क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है -
- 25 यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
- 26 सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - हां/नहीं
- 27 वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) हां/नहीं
- 28 लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है - हां/नहीं
(5 हे. से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)
- 29 मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है - हां/नहीं
- 30 मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है - हां/नहीं
अथवा
- मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं
- 31 राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न हैं - हां/नहीं
- 32 क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है, यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित हैं - हां/नहीं
- 33 यदि वनभूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है -
- 34 वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हां/नहीं
- 35 क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हां/नहीं
- 36 क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्रा संलग्न हैं - हां/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फॉर्म सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व सनस्त प्रमाण पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं

अधिरक्षक अभियन्ता
प्रमुख अभियन्ता

शर्त सहमति प्रमाण पत्र

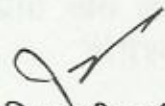
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दधोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ली गयी सिविल वन भूमि हस्तांतरण हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार व वन विभाग द्वारा लगाई गयी सम्पूर्ण शर्तें लोक निर्माण विभाग को मान्य हैं।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशोषी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.385 हेक्टेयर नाप वनभूमि की आवश्यकता है, इस भूमि की लागत ₹ 56000.00 प्रति नाली की दर से कुल ₹ 1100000.00 निर्धारित है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

एम० एस० धिवट
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र.....पटवारी
तहसील चमोली
जनपद-चमोली

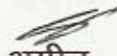
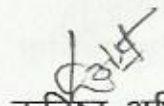
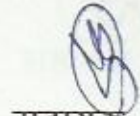
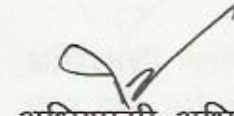
तहसीलदार

उपजिलाधिकारी,

सिविल/आरक्षित/वन पंचायत वन भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

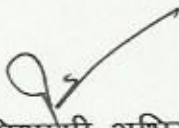
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दधोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे० सिविल वनभूमि ली गई है, उसको मोटर मार्ग/मार्ग निर्माण के प्रयोजन हेतु संस्तुति की जाती है।


अमीन
कनिष्ठ अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

भूमि सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव में दर्शायी गयी भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं पड़ती है। वांछित वन भूमि न्यूनतम है।


अमीन
कनिष्ठ अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र :

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।



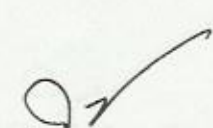
अमीन



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता



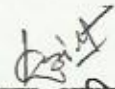
अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

अन्य वैकल्पिक संरेखण प्रमाण पत्र

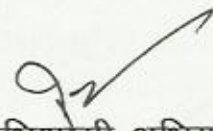
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु दो विकल्पों पर विचार किया गया, किन्तु प्रस्तावित संरेखण उपयुक्त है। इस संरेखण से अधिक से अधिक ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं तथा कम से कम वन सम्पदा का नुकसान हो रहा है। भू-गर्भवेत्ता द्वारा भी प्रस्तावित संरेखण को उपयुक्त बताया गया है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

गैर वानिकी एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे० सिविल वनभूमि की क्षति पूर्ति वृक्षारोपण लोक निर्माण विभाग के व्यय से अवनत वन भूमि के दुगने क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण करा दिया जायेगा, तथा जो भी धनराशि वृक्षारोपण के लिये निर्धारित की जायेगी, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

एम० एस० चिष्ट
राज्य जलनिरीक्षक
क्षेत्र...
तहसील चमोली
जनपद-चमोली

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी,

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना में वृक्षों की सूची संलग्न है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता सहायक अभियन्ता

अधिरासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

स्थल विशिष्ट होने/न होने का प्रमाण पत्र

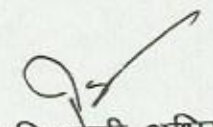
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में दषोली विकास खण्ड के अन्तर्गत यह मार्ग पर्यटन की दृष्टि से विशिष्ट स्थल नहीं है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशोसी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर